आमुख: जे. साई दीपक

ink

हिन्दू राष्ट्र: हिन्दुओं की रामकहानी

हाशिए के नागरिक और राज्य-प्रायोजित नस्लभेद के भुक्तभोगी

एक निश्चित परिधि के भीतर अपने आप में एक विलक्षण कृति के ऐसे पांडित्यपूर्ण और आँखें खोल देने वाले लेखन को पढ़कर भी यदि इन हालात पर काबू पाने के लिए हिन्दू और इस देश की सरकारें नहीं जगीं तो इस समुदाय की दशा उन भेड़ों की तरह हो जाएगी जो काटे जाने के लिए स्वयं क़त्लखाने की ओर चुपचाप चल पड़ती हैं।

— विक्रम संपत
इतिहासकार

आनंद रंगनाथन

जो यह दावा करते हैं कि हम एक अधिनायकवादी हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि यह किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र है जहाँ एक अरब शक्तिशाली हिंदू यहाँ की संसद, अदालतों, शिक्षा व्यवस्था और हमारे संविधान द्वारा न सिर्फ दोयम दर्जे के नागरिक करार दिए गए हैं बल्कि उससे भी नीचे धकेल दिए गए? यह कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें दुर्गा पूजा और गरबा के आयोजनों पर बेरोकटोक पत्थरबाजी की जाती है और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा एक शख्स कहता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? यह कैसा हिंदू राष्ट्र है जहाँ हिंदुओं को अपनी ही धरती पर शरणार्थियों की तरह रहना पड़ता है और जहाँ कोई 40 हजार रोहिंग्या मुसलमानों को तो बसा सकता है लेकिन इसी देश के धरतीपुत्र 7 लाख कश्मीरी पंडितों को नहीं और जहाँ अदालतों का कहना है कि हिंदुओं की हत्या, बलात्कार और जातीय संहार करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है? यह किस तरह का हिंदू राष्ट्र है जहाँ हिंदुओं के मंदिर सरकारों के कब्जे में हैं और अपने त्योहार मनाने के लिए हिंदुओं को वक्फ बोर्ड के सामने जमीन के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं? यह किस तरह का हिंदू राष्ट्र है जहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम में केवल हिंदुओं के स्कूलों के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें ताला लगाने को मजबूर कर दिया जाता है? यह किस तरह का हिंदू राष्ट्र है जहाँ औरंगज़ेब और टीपू जैसे बर्बर शासकों को लेकर सरकारी खर्चे पर प्रकाशन किए जाते हैं, सड़कों के नाम रखे जाते हैं और त्योहारों का आयोजन होता है? यह किस तरह का हिंदू राष्ट्र है जहाँ एक ऐसा कानून बिल्कुल बन ही जाने ही वाला था जिसमें केवल हिंदुओं को, जबकि वे अल्पसंख्यक थे, सांप्रदायिक दंगों के लिए दोषी ठहराया जाता जैसा कि कश्मीर में देखा गया? यह किस तरह का हिंदू राष्ट्र है जहाँ सबरीमाला प्रकरण में अदालतों के फैसले और विधायी कानून केवल हिंदुओं के धर्माचारों में सुधार के लिए किए जाएँ लेकिन दूसरे धर्म को छुआ तक न जाए और अगर ऐसा कोई करे भी, तो वहाँ शाहबानो के मामले की तरह फैसले को पलट दिया जाए? यह किस तरह का हिंदू राष्ट्र है जहाँ हिंदू पूजा स्थल अधिनियम आज भी हिंदुओं को उनके प्रति हुए ऐतिहासिक अन्यायों को दुरुस्त करने के उनके विधिसम्मत अधिकार पर रोक लगाता है जबकि वक्फ एक्ट मुसलमानों को एक 1500 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर को इस्लामी संपदा घोषित करने की अनियंत्रित शक्ति दे देता है, गो कि इस्लाम अपने आप में महज 1300 वर्ष पुराना है? अगर एक हिंदू राष्ट्र में हिंदू को इस तरह नवाजा जा रहा हो तो इससे अच्छा है कि वह एक मुस्लिम राष्ट्र में रहे क्योंकि वहाँ कम से कम बराबरी का ढोंग तो नहीं होगा, एक काफिर को वही मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। अपने इस कड़वे बयान में आनंद रंगनाथन आजादी के बाद से हिंदुओं के साथ धोखेबाज़ी करने वाली ग्लानि भरी झूठी कहानी और आत्मदोषानुभूति पर एक निर्णायक प्रहार करते हुए उसे चकनाचूर कर देते हैं। यहाँ कोई स्वाँग या राजनीतिक शुचिता नहीं है, अगर है तो केवल राज्य प्रायोजित नस्ल भेद की वह ठोस सच्चाई जिसके साथ हिंदू जी रहे हैं।

अग्रिम शुभाशंसाएँ

यह पुस्तक ऐतिहासिक भूलों का बेबाक बयान है। रंगनाथन एक के बाद एक अध्यायों में बहुसंख्यक समुदाय के साथ हुए जिस भेदभाव का वर्णन करते हैं उसका कोई दूसरा दृष्टांत विश्व इतिहास में नहीं मिलता। और, तब कहीं आप समझ पाते हैं कि भारतीय सभ्यता की यात्रा जानबूझकर या अन्यथा हिन्दुओं के साथ हुए घोर अन्याय के द्वारा स्वातंत्रयोत्तर काल में बाधित होना जितना आश्चर्यजनक है और उतना ही शब्दातीत भी क्योंकि धार्मिक आधार पर हुए देश के बँटवारे के बाद हमारी सभ्यता की विरासत को उसका यथोचित स्थान मिलना चाहिए था। बहुत से हिंदू तो इस तरह के विस्तृत विधायी, न्यायिक और संवैधानिक नस्लभेद के बारे में कुछ जानते भी नहीं। यह कृति कुछ गहरे बेचैन करने वाले सवाल खड़ी करती है क्योंकि जब यह स्पष्ट है कि यह पूरा निजाम बहुसंख्यक समुदाय के विरुद्ध भेदभाव करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है तो इनके साथ सहानुभूति रखने वाली उसके बाद आने वाली उन सरकारों ने सुधार करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया?

मीनाक्षी जैन
इतिहासकार एवं सीनियर फेलो
नेहरु मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी

प्रभावशाली और उत्प्रेरक तर्क ऐतिहासिक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों के साथ यह पुस्तक पाठकों को प्रचलित आख्यानों पर सवाल खड़े करने को मजबूर करती है और अपने ही देश में हिंदुओं को आठवें दर्जे के नागरिक बनाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहारों के निहितार्थ पर विचार करती है। यह पाठकों के सामने यथास्थिति को आलोचनात्मक नजरिए से देखने और धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के बारे में अधिक व्यापक चर्चा करने की चुनौती पेश करती

है। हिंदू राष्ट्र में हिंदू एक प्रखर आलोचना और आधुनिक भारत युग के लिए एक चुनिंदा घोषणा पत्र है। आशा है कि यह कोशिश अरण्यरोदन साबित नहीं होगी।

विष्णु जैन
अधिवक्ता एवं हिन्दू राइट्स एक्टिविस्ट

हिन्दू राष्ट्रः
हिन्दुओं की रामकहानी

हिन्दू राष्ट्र:
हिन्दुओं की रामकहानी

हाशिए के नागरिक और राज्य-
प्रायोजित नस्लभेद के भुक्तभोगी

आनंद रंगनाथन

ink | OCCAM

Title: Hindus in Hindu Rashtra: Eighth-class Citizens and Victims of State-sanctioned Aparthied
Author: Anand Ranganathan

ISBN: 978-93-92209-94-9

First published in India 2023
This edition published 2023

Published by:
BluOne Ink LLP
A-76, 2nd Floor, Noida Sector 136,
Uttar Pradesh 201305.

Website: www.bluone.ink
Email: publisher@bluone.ink

Printed and bound in India by Nutech Print Services - India.

अनुक्रमणिका

पुरोवाक्

स्वाधीन भारत में एक लंबा समय गुज़र जाने के बाद भी भारतीय धर्मानुयायियों को अब तक अपनी पीड़ा साझा करने का अवसर नहीं दिया गया है। आखिरकार, हमें यह बताया गया है कि हिन्दू बहुसंख्यक हैं और हमें किसी प्रकार की पीड़ा कैसे हो सकती है? 1947 में हमारी पुण्यभूमि- भारत- का धार्मिक आधार पर किए गए उस रक्तरंजित विभाजन के बावज़ूद, हिन्दुओं को यही बताया जाता रहा कि बहुसंख्यक होना ही अपने आप में इतना बड़ा पाप है, जिसके लिए कुछ अल्पसंख्यकों को (जो स्वयं को इस्लामी आक्रांताओं, अपना उपनिवेश बनाने वालों और यूरोपीय ईसाई उपनिवेशवादियों से अपनी पहचान जोड़ते हैं), उनकी सुरक्षा और सम्मान के प्रति आश्वस्त करने के लिए हर प्रकार से निरंतर और घोषित तौर पर प्रायश्चित करते रहने की आवश्यकता है। जैसा कि इस पुस्तक में डॉ. आनंद रंगनाथन ठीक ही कहते हैं कि ऐसे आश्वासनों के दो रूप हैं: पहला सकारात्मक, जिसमें अल्पसंख्यकों के राजनीतिक तुष्टीकरण और दूसरा नकारात्मक, जिसमें कानून के रास्ते लेकिन गैर-संवैधानिक तरीके से हिन्दुओं के साथ भेदभाव। इस पुस्तक में आनंद बेबाकी से कहते हैं कि अगर मौजूदा व्यवस्था में भी ये तुष्टीकरण जारी रहता है तो यह हिन्दुओं के विरुद्ध क़ानूनी अस्त्रों की मदद से अमल में लाया गया एक संगठित भेदभाव है, हिन्दुओं के अस्तित्व पर एक बड़ा और दीर्घकालिक खतरा है। एक सुसंस्कृत हिन्दू होने के नाते एक हिन्दू-बहुल राष्ट्र में हिन्दुओं के साथ होने वाले भेदभाव के आठ दृष्टांतों की पहचान के लिए आनंद

ने अपने वैज्ञानिक नज़रिए और हैरान करने वाली विश्लेषण-क्षमता को मानो झोंक दिया है।

हिंदू धार्मिक संस्थाओं पर सरकार के कब्जे से लेकर वक्फ़ अधिनियम 1995 के माध्यम से एक हिंसक और प्रसारवादी मानसिकता को हथियार बंद करने कश्मीरी हिंदुओं के जनसंहार से इनकार करने हिंदू जीवन पद्धति की लगातार एक सुधारात्मक समीक्षा करने पूजा स्थल अधिनियम 1991 के माध्यम से जारी इस्लामी जिहाद को राज्य का समर्थन देने तक सभी विषयों पर आनंद ने धार्मिक पहचान और जगह को पुनः हासिल करने के उद्देश्य से चल रहे आज के सनातनी आंदोलन को अपनी सशक्त आवाज दी है। अपने अनूठे अंदाज वाले चुस्त और ठोस लेखन के माध्यम से आनंद ने अपनी विवेचना की सबसे महत्वपूर्ण स्थापना में यह बताया है कि सत्ता चाहे किसी की भी रही हो लेकिन हिंदू हमेशा हाशिए के नागरिक रहे और अभी भी हैं तथा यह भी कि हिंदू समुदाय को बहलाने के लिए कोई दीर्घकालिक नीति के बिना केवल कुछ रस्म अदायगियों का इस्तेमाल हो रहा है। एक गैर इब्राहिम धार्मिक समुदाय के लिए,जो एक प्रकार से वैश्विक अल्पसंख्यक और देश के भीतर टुकड़ों में बँटा बहुसंख्यक है, कोई भी राजनीतिक विकल्प जो बेहिसाब ताकत रखने के बावजूद बिना कोई नीतिगत परिवर्तन लाए हुए भी उनके हक की आवाज उठाता हो, निश्चित रूप से एक ताजा हवा के भी झोंके की तरह है।

यद्यपि बढ़ती कानूनी दखलअंदाजी और हिंदुओं के लिए दुनिया में और दिलों में लगातार कम होती जगह को देखते हुए अब समय आ गया है कि हम गलत को गलत कहें और हिंदू हितों को हुए अनवरत नुकसान से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आशा करें। हिंदू समुदाय को खतरनाक रूप से नुकसान पहुंचा रहे विशेष मुद्दों के लिए निश्चय ही एक आधार ग्रंथ के रूप में कार्य करने वाली इस पुस्तक को पढ़ना बेहद जरूरी है। आनंद के द्वारा उठाए

गए मुद्दे और उसी तरह के दूसरे अथवा उनसे संबंधित मुद्दे पर गहराई से जानने के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए यह एक शानदार शुरुआत हो सकती है। मैं आनंद को यह दायित्व निर्वाह करने के लिए और भारतीय / धार्मिक पुनर्जागरण के विकसमान साहित्य में अपना योगदान देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं पुस्तक की सफलता की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह और अधिक हृदयों और मस्तिष्कों को सचेतन करेगी।

जे. साईं दीपक
अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, भारत

आमुख

जब से महात्मा गाँधी ने इस देश की नब्ज पकड़ ली हमने देखा है कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया जो कभी-कभी महानता प्रदर्शित करने के लिए और कभी शिकार बनाए जाने का रोना रोकर। वे अपनी विकृत दृष्टि को कार्य रूप देने में किस हद तक संकल्पबद्ध थे इसका एक दृष्टांत यह है कि विभाजन पूर्व हुई हिंदू मुस्लिम हिंसा के दौरान पीड़ितों को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था कि- हिंदुओं को अपने हृदय में मुसलमानों के लिए गुस्सा नहीं रखना चाहिए, चाहे मुसलमान हमें बर्बाद कर देना चाहते हों। अगर मुसलमान हम सभी को मार डालना चाहते हैं तो हमें मृत्यु का साहस के साथ मुकाबला करना चाहिए। अगर वे हिंदुओं को मारकर अपना शासन स्थापित करते हैं तो हम अपने जीवन का बलिदान देकर एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे।[1]

खिलाफत आंदोलन से लेकर मोपला जनसंहार[2] पर नरमी बरतने, रंगीला रसूल की घटना,[3] राज्य और केंद्र के भयंकर भेदभावपूर्ण अनुच्छेद और संशोधन, स्कूलों के पाठ्यक्रम, हज सब्सिडी, बाल विवाह कानून के उल्लंघनों की अनदेखी, शाहबानो मामला, पदासीन प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा जाना कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है,[4] तक- हर बार अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया गया है और इसने उनके नेताओं और राजनीतिक मोर्चों को और अधिक वसूली और भयादोहन के लिए दुस्साहस दिया है।यह सब कुछ उनके अपने समुदाय के लिए और हिंदुओं के लिए भी खासा महंगा पड़ा है।

सवाल तुष्टीकरण का नहीं है- हाँ, तुष्टीकरण भेदभावपूर्ण जरूर है, बिल्कुल है लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा वह नस्लभेदी व्यवहार है जो उन समुदायों के साथ हो रहा है जिनका तुष्टीकरण नहीं किया जाता है। सच कहा जाए तो तुष्टीकरण परेशान करता है लेकिन भारतीयों ने इसे अपनाना सीख लिया है बल्कि इसे अपनी प्रगति का सूचक मानने लगे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुष्टीकरण के कारण राजनीतिक हैं और वह कारण दरअसल चुनाव जीतने के लिए अपने वोट बैंक को दुरुस्त करना है। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो और उसकी धार्मिक मान्यताएँ या पहचान कुछ भी हो, सब के सब तुष्टीकरण में लिप्त होती हैं। इसलिए जबकि मुसलमानों की आबादी महज 14.2% ही है फिर भी विगत 8 वर्षों में उन्हें आवास योजना के तहत दिए गए मकान 31. 3% किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वितरित धनराशि का 33% और मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण का 36 प्रतिशत मुसलमानों को गया है।[5] बीजेपी सरकार की एक योजना प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना तो खासकर उन मुस्लिम लड़कियों के लिए है जो विवाह से पूर्व स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं। उन्हें बिना पूछे 51000 रुपए मिल जाएंगे।[6] आवास कौशल निर्माण मेधावृत्ति सरकारी नौकरियाँ और मौलवियों को वेतन देने के मामलों में बीजेपी के साथ-साथ सभी राजनीतिक दल तुष्टीकरण करते और अधिक तरजीह देते देखे जा सकते हैं।[7] बीजेपी ने अभी हाल ही में ईसाई वरिष्ठ नागरिकों को वोट देने की एवज में जेरूसलम की मुफ्त यात्रा करने का प्रस्ताव दिया था।[8] सच तो यह है कि हवा का रुख देखते हुए राम राज्य और रोम राज्य परस्पर बदलते रहते हैं।

नहीं, मैं फिर कहता हूं कि यह मुद्दा तुष्टीकरण का नहीं है। मुद्दा है नस्ल भेद का। यह मुद्दा है राज्य द्वारा प्रायोजित और राज्य द्वारा स्वीकृत एक समुदाय विशेष के विरुद्ध भेदभाव का। और वह समुदाय है बहुसंख्यक हिंदुओं का। यह पुस्तक तुष्टीकरण के बारे में

नहीं बल्कि नस्ल भेद से जुड़ी चिंता के बारे में है। यह चिंता किसी सम्मान से जुड़े प्रश्न से नहीं है बल्कि उस भेदभाव के बारे में है जो हमारे संविधान, हमारी नीतियों, हमारे कानूनी ढाँचों,हमारे समाज और हमारे मनोविज्ञान में इतनी गहरे समा गया है कि इसने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नहीं बल्कि उससे भी नीचे दर्जे का नागरिक बना दिया है। यह भी कि सब कुछ उस तथाकथित हिंदू राष्ट्र में सच हो रहा है जो अपने आप में एक विडम्बना है। यहाँ उन आठ दृष्टान्तों का उल्लेख किया गया है जो अपने ही देश में हिंदुओं को आठवें दर्जे का नागरिक बनाते हैं।

1

हिन्दू मंदिरों पर सरकार का अंकुश

आज़ाद भारत में किसी भी दूसरे घोटाले से कहीं बहुत बड़ा और गहरी आर्थिक चोट देने वाला घोटाला हिन्दू मंदिरों और उनकी संपत्ति पर सरकार का अंकुश होना है। ऐसा न केवल आज भी बदस्तूर जारी है बल्कि मौज़ूदा सरकार की निगरानी में फल-फूल रहा है और यह दिखाता है कि हमारे देश में राजनेताओं ने हिन्दुओं के साथ कैसा सलूक किया है। हिन्दू मंदिरों में हुई ऐसी लूट के सामने तो पेट्रोलियम सेक्टर का दोहन भी फीका दिखाई देता है। मुझे यह नहीं मालूम कि धर्मनिरपेक्षता के झंडाबरदारों को यह बात क्यों समझ नहीं आती कि अगर आप सचमुच मानते हैं कि धर्म को शासन के मामले में दखल नहीं देना चाहिए तो फिर यह बात दूसरी ओर से- कि शासन को भी धर्म के विषय से अलग रखा जाना चाहिए- उसी प्रकार से युक्तिसंगत है। लेकिन क्या ऐसा है? धर्मनिरपेक्षता धर्म और शासन को एक-दूसरे से नितांत अलग रखने वाली अवधारणा है; बिल्कुल ही अलग। हमारे संविधान में ढेर सारे ऐसे अनुच्छेद, संशोधन और निर्देशक सिद्धांत हैं जो इसे बहुलताधर्मी तो बनाते हैं लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं। वस्तुतः, धर्मनिरपेक्ष शब्द तो इंदिरा गाँधी ने आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा था।[9] अम्बेडकर के संविधान में तो यह था ही नहीं। हमारा शासन स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहता तो जरूर है लेकिन बड़ी निर्लज्जता से हिन्दू

पूजा-स्थलों के लिए कानून बनाने और उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है।

हजारों वर्षों तक हिन्दू मंदिर पूजन, शिक्षा-दीक्षा, सामुदायिक जीवन, व्यापार व अर्थव्यवस्था, शासन और सुरक्षा के केंद्र रहे। प्रत्येक हमलावर यह जानता था कि अगर भारत को खंडित करना है तो आपको पहले इस मंदिर कार्यतंत्र को ध्वस्त करना होगा। और, प्रत्येक हमलावर ने ऐसा किया। ब्रिटिश इस मामले में थोड़ा अलग इस प्रकार थे कि उन्होंने यह काम अपनी गुलामी करने वाले लोगों से करवाया और यही गुलाम लोग आज भी यह काम जारी रखे हुए हैं। मद्रास विनियमन VII 1817 से लेकर धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863, धार्मिक एवं धर्मार्थ निधि अधिनियम 1925, हिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ निधि अधिनियम 1927, अधिनियम XII 1935 और हिन्दू धर्मदान अधिनियम 1951 तक हिन्दू अपने पूजा-स्थलों की शासन प्रायोजित लूट को भुगतते रहे हैं। और, जब 1951 के क़ानून को पहले मद्रास उच्च न्यायालय में, तदुपरांत उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और इस अधिनियम के सबसे निरंकुश प्रावधान खारिज कर दिए गए,[10] तब, उस समय सत्ता में रही कांग्रेस ने झट से हिन्दू धर्मदान अधिनियम, 1959[11] पारित कर न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया। दो वर्ष पूर्व, इसी मद्रास उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका यह टिप्पणी करते हुए निरस्त की: "मंदिरों के प्रबंधन का पूजन के अधिकार से कोई संबंध नहीं है। एक हिन्दू अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे पूजा कर सकता है।"[12]

लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, यदि कांग्रेस हिन्दू मंदिरों पर नियंत्रण रखने वाला क़ानून ला सकती है तो वर्तमान सरकार हिन्दू मंदिरों को इससे मुक्त करने वाला क़ानून क्यों नहीं ला सकती? स्वामी परमात्मानन्द एवं स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका वर्ष 2012 से विचाराधीन है।[13] दस वर्षों से भी अधिक

समय से। वे आतंकवादियों को क्षमादान के लिए तो आधी रात को सुनवाई कर सकते हैं लेकिन ऐसे मामलों के लिए उनके पास समय नहीं है। अपनी याचिका में स्वामीजी ने तमिलनाडु के तिरुचेंगोड़ में स्थित भव्य अर्धनारीश्वर मंदिर का उदाहरण दिया है। 1 करोड़ से अधिक की सालाना आय देने के बावजूद मंदिर के लिए दैनिक पूजा एवं विधि-विधान हेतु केवल 1 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है।[14] स्वामी दयानंद सरस्वती अपने इस प्रिय देवालय को शासन के कब्जे से मुक्त देखने के लिए जीवित नहीं रह सके। वर्ष 2015 में उनका निधन हो गया।

केवल 10 राज्यों की सरकारों का 1,10,000 हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण है। तमिलनाडु के मंदिर न्यासों के पास अपनी 4,78,000 एकड़ मंदिरों की जमीन है।[15] तमिलनाडु सरकार के पास अकेले 36,425 मंदिरों और 56 मठों का नियंत्रण है[16] और कर्नाटक में यही आँकड़ा 34,563 है।[17] क्या इसे ही हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं? केरल की कम्युनिस्ट सरकार के पास पाँच देवस्वम् बोर्ड- त्रावणकोर, गुरुवायूर, कोचीन, मालाबार और कोडलमाणिक्यम्- हैं। वे कुल मिलाकर 3,058 मंदिरों का प्रबंध भी देखते हैं।[18] वे कम्युनिस्ट, जिनके लिए धर्म 'जनता का अफीम' है, हिंदू मंदिरों और उसके बोर्डों पर कब्जा जमाए हुए हैं, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भी अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर या तो कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं या उनके कार्डधारी मेंबर है।[19] भला क्यों? यह किस तरह का धंधा है जिसमें हिंदू मंदिरों से ऑडिट करने के नाम पर 5% से लेकर 21% तक प्रशासनिक शुल्क लिया जाता है?[20] यह किस तरह का धंधा है जहाँ सरकारें निर्धारित करें कि कितनी बार पूजा की जानी है, इसे कौन करेगा, कौन यह करने की पात्रता रखता है और पूजा की प्रक्रिया क्या होगी?[21] यह किस तरह का धंधा है जहाँ सरकारें दसियों हजार एकड़ मंदिर की भूमि पर नियंत्रण रखें और उसके लिए किराया निर्धारित करें? केवल इस एक कारण से

बीते दशकों में हिंदू मंदिरों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील टी. आर. रमेश के अनुसार, तमिलनाडु सरकार 2.44 करोड़ वर्ग फीट मंदिर की भूमि से होने वाली आय कम से कम 6000 करोड़ प्रतिवर्ष होनी चाहिए, परंतु वह एक प्रतिशत से कम, सिर्फ 58 करोड़ रुपए लेती है।[22] तमिलनाडु के चेन्नई में सबसे धनी मंदिरों में शामिल कपालीश्वरार मंदिर के पास 600 एकड़ की बेशकीमत संपत्ति है। सरकारी रिकार्ड बताते हैं कि इनमें 473 ऐसे बकाएदार हैं जिन्होंने इसकी ज्यादातर जमीन कब्जे में कर ली है।[23] यह सब कुछ केवल एक राज्य का लेखा-जोखा है। अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के ऐसे अवसर चूक जाने के कारण हिंदू मंदिर उन मदों, जैसे- वेद पाठशालाओं, विद्यालयों, कॉलेजों, गौशालाओं का निर्माण, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, अनाथालयों, हिंदू संस्कृति और धार्मिक केन्द्रों आदि पर व्यय नहीं कर सकते; जबकि अन्य धर्म अपने धर्मस्थलों से होने वाली आय को निर्बाध रूप से खर्च करते हैं।

केवल भारत में ही ऐसा संभव है कि हिंदू मंदिरों को चलाने वाले बोर्ड के सदस्य के रूप में गैर-हिंदू जैसे- मुस्लिम फरहाद हकीम[24] और ईसाई वंगालापुड़ी अनीता[25] को राज्य नियुक्त करे और आप किनारे रहकर सब कुछ देखते रहें; हम यहीं पर चुप रहेंगे जहाँ मूर्तियाँ चोरी चली जाती हैं, मंदिरों की संपत्ति नीलाम कर दी जाती है और एक पूरा-का-पूरा मंदिर केंद्रित संचालन तंत्र और जीवन पद्धति नष्ट कर दिए जाते हैं। मंदिरों पर किए जाने वाले हमले अपना रूप बदलकर अब सीधे हिंदुत्व पर किए जाने वाले हमले बन चुके हैं। कल्पना कीजिए कि कोई हिंदू पुजारी या राजनीतिज्ञ तय करने लगें कि सेंट फ्रांसिस चर्च या जामा मस्जिद को किस प्रकार चलाया जाए! यदि ऐसा हो भी जाए तो शायद हमारी न्यायपालिका आधी रात बैठकर उसकी सुनवाई करेगी और धर्मनिरपेक्षता की मृत्यु का शोक मनाएगी।

सबसे मजेदार बात यह है कि ठीक वही लोग जो बार-बार भारत को उपहासपूर्वक हिंदू राष्ट्र कहते हैं वह हिंदुओं के पूजा स्थल पर सरकार के नियंत्रण पर बिल्कुल खामोश हैं। वह हमेशा पूछते रहते हैं कि आखिर इस दुनिया में धर्मनिरपेक्षता कैसे संभव हुई। आप दशकों तक हज सब्सिडी देते रहें और करदाताओं के पैसे से उस एएमयू में शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाएँ जहाँ मात्र 1.4% दलित विद्यार्थी और 0.25% दलित शिक्षक हैं, जहाँ लुटेरे शासकों द्वारा राजकोष से दसवीं हजार मौलवियों को तनख्वाह दी जाती हो, शासन संचालित यूजीसी को वैसी अल्पसंख्यक संस्थाओं को फंड मुहैया कराने को कहें जो 50% सीट ईसाइयों के लिए आरक्षित रखते हैं, खड़े होकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को केवल मुसलमान की तुष्टीकरण के लिए पलट दें, केवल हिंदू मंदिरों से हजारों करोड़ रुपए चूस लें, करतारपुर गलियारे के लिए करदाताओं के सैंकड़ों करोड़ रुपए खर्च दें- यह सब क्या धर्म में शासन के दखल के उदाहरण या धार्मिक माँगों के आगे घुटने टेक देना नहीं है? क्या यह धर्मनिरपेक्षता है?

मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम, 1982[26] के अधीन विख्यात महाकालेश्वर मंदिर से होने वाली आमदनी और इसकी संपत्ति पर कड़ी निगरानी रखते हुए पुजारी की नियुक्ति से लेकर प्रसादम लड्डू का आकार तय करने तक का काम किया है। दक्षिण में देखें, तो तिरुपति में अप्रैल से सितंबर 2022 के बीच 782 करोड़[27] रुपए की हुंडी प्राप्त हुई। इसकी 7123 एकड़ की संपत्ति का मूल्य दसों अभी जारी हुए सरकारी मूल्य निर्धारण के अनुसार 85,705 करोड़ रुपए तय हुआ है।[28] लेकिन, धर्मनिरपेक्षता का तो अर्थ है कि यह मंदिर 'धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ निधि अधिनियम' के द्वारा संचालित होगा। अभी उच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व तक आंध्र प्रदेश हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम 5 लाख से अधिक आमदनी वाले मंदिरों को 21.5%

आय निधि संकलन विभाग को देने को बाध्य करता था।[29] अब सरकार ने एक धार्मिक परिषद् का गठन कर मंदिर न्यास बोर्ड बनाने और भूमि पट्टेदारी को आगे बढ़ाने जैसे असीमित अधिकार दे दिए हैं।[30] क्या यह धर्मनिरपेक्षता है? लगभग 2 वर्ष बीते होंगे, जब तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उसके नियंत्रणाधीन 11,999 मंदिरों के पास एक समय पूजा करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है।[31] लेकिन मैं फिर पूछता हूं कि अगर कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए हिंदू मंदिरों पर अपना नियंत्रण कर लेती है जो आज तक कायम है, तब मौजूदा सरकार बीते 9 वर्षों में इसे पलट देने वाला कोई दूसरा कानून क्यों नहीं ला सकती? इसमें क्यों पिछली सरकारों की अपेक्षा और अधिक हिंदू मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में लाया गया है? मौजूदा सरकार आखिर क्यों 339 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए गए काशी कॉरिडोर जैसे मंदिर कॉरिडोर बनाने पर इतनी खुश हो रही है जबकि हिंदू मंदिरों पर से अपना नियंत्रण हटाकर वह इनके लिए सैंकड़ों ऐसे कॉरिडोर पूरे देश में बनाना संभव कर सकती थी? जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, हिंदू मंदिर को सार्वजनिक तौर पर एक कंपनी के रूप में सूचीकृत करना चाहिए। आखिर मन की शांति और आश्वस्ति एक उत्पाद ही तो हैं जिसकी यह आपूर्ति करते हैं और लोग खरीदते हैं और दूसरी कंपनियों की तरह इन्हें अपना उत्पाद में न तो गुणवत्ता बढ़ानी होती है और न ही सुधार करना होता है, क्योंकि एक मंदिर का उत्पाद न तो हजारों सालों में बदला है और न बदलेगा। भारतीय लोगों को इसमें अपना हिस्सा खरीदना चाहिए और मंदिर को आधिकाधिक संपन्न बनाना चाहिए। यह सार्वजनिक व्यापार के माध्यम से जितना ही धनाढ्य बनेंगे, समाज के लिए उतने ही अधिक कार्य जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क, अनाथालय, घर और न जाने ऐसे अनगिनत काम कर पाएँगे। ये समाज के लिए जितना अधिक करेंगे, लोग इन्हें उतना ही अधिक

खुलकर दान करेंगे। सार्वजनिक सूची में होने पर सरकार का यह सवाल कि इन्हें मुक्त कर देने पर इन पर किनका नियंत्रण होगा, बेमानी हो जाएगा। सरकार चाहे तो मंदिर की संपत्ति पर कर लगाए- कोई बात नहीं। कम से कम मंदिरों द्वारा अर्जित आय मंदिरों के पास तो रहेगी। कम से कम हिंदुओं को अपने ही देश में इतनी बुरी तरह से भेदभाव का सामना तो नहीं करना होगा।

2

अन्याय के मारे हुए कश्मीरी हिन्दू

कश्मीर में आतंकवादी वहाँ रहने वाले हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं लेकिन वहाँ घूमने आए हिंदुओं को नहीं। विगत वर्ष कश्मीर में पर्यटकों के आगमन का आँकड़ा करीब 1 करोड़ 60 लाख के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।[32] व्यापार में बहुत उछाल आ रहा है। आमदनी बढ़ रही है। पर्यटक सुरक्षित हैं।

वे चाहते हैं कि हिंदू यहाँ से भाग जाएँ और फिर पर्यटक के रूप में यहाँ आए। वे चाहते हैं कि हिंदू पर्यटक बनकर आएँ और उनका खजाना भर दें, लेकिन इस जमीन पर बसें नहीं। एक कश्मीरी हिंदू सुशील पंडित, जो खुद जातीय नरसंहार के शिकार हुए, कहते हैं कि कश्मीर में पर्यटन से जिहादियों को पैसा मिलता है। इस तरह से हिंदू खुद अपना विनाश लिख रहे हैं। यह मुमकिन है कि हम यह सब कुछ अपने सामने होता हुआ देखें और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? कैसा ये देश है जहाँ 5700 रोहिंग्या मुसलमान[33] को जम्मू कश्मीर में बसाया जा सकता है लेकिन वहाँ के धरती पुत्र 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर वापस नहीं लाया जा सकता? इसे तो हम कुछ यूँ ठीक-ठीक बयान कर सकते हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी हालत उस टूटे हुए आईने की तरह है जो न तो हमारी छवि दिखा सकता है और न ही हमारी छाया, अगर आप एक कश्मीरी हिंदू हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो हमें अपनी स्मृतियों से मुक्त

करने के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, थोड़ा और।

30 वर्ष गुजर गए जब से हम शेखपुरा, नातुन्सा, वीरवान, वेसु, मट्टन और हाउल के उन गंदे और बदसूरत राहत शिविरों में से आगे नहीं बढ़ सके जो कश्मीर के परिद्दश्य पर बदनुमा दाग की तरह चिपके हुए हैं। अनंतनाग में बने वेसु के राहत शिविरों से कश्मीरी हिंदू अपनी जान बचाकर भागना चाहते हैं लेकिन उन्हें कैद करके रखा गया है। वे अपनी जरूरत की चीज़ें, जैसे दूध और दवाई, लेने को भी बाहर नहीं निकल सकते।[34] जहाँ उसी इलाके में रोहिंग्या आज़ादी से घूमते-फिरते हैं क्या हमने उन धरती पुत्रों से ऐसी आजादी का वादा किया था? गृह मंत्रालय की आंकड़ों की मानें तो विगत 6 वर्षों में कश्मीरी हिंदुओं के लिए किए वादे के मात्र 17% घर ही तैयार किए जा सके।[35] केवल 5,928 कश्मीरी हिंदुओं को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत रोज़गार मिल सका।[36] भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े बताते हैं कि कश्मीरी हिंदू शरणार्थियों की संख्या 7 लाख है। यह बताता है कि कश्मीरी हिंदू सामूहिक जनसंहार के बाद 62,000 परिवारों का कश्मीर से पलायन हुआ जो एक तरह का डरावना कमतर आकलन है क्योंकि इन सरकारी आँकड़ों में राहत और पुनर्वास देने हेतु पंजीकृत परिवारों की संख्या है।[37]

हाल ही में विवेक अग्निहोत्रि द्वारा बनाई गई फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' किसी हद तक कश्मीरी हिंदुओं की कहानी सामने लाने की कोशिश करती है और इसीलिए कई लोग इस पर चीखने-चिल्लाने लगते हैं। कई जाने-माने कश्मीरी आंदोलनकारी, राजनेता, बुद्धिजीवी, लेखक और कवि, जो कश्मीरी हिंदू के सामूहिक नरसंहार को अपने सामने होते हुए देख कर भी चुप रहे, वे फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की बात करने लगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अतीत को साथ लिए बिना कोई समाधान संभव है? दंड के बिना अपराध

का कोई अर्थ है? क्या उद्धार के बिना मृत्यु का कोई अर्थ है? किसी न्याय व्यवस्था के बिना न्याय का कोई अर्थ है? आखिर ये लोग नाडीमर्ग की उस कहानी को, जिसे यह फिल्म बिल्कुल सच्चाई के साथ बयां करती है, छिपाना चाहते हैं जहाँ आतंकवादी जिया मुस्तफा ने 23 निर्दोष कश्मीरी हिंदुओं को बिल्कुल निकट से गोली मार दी और वहाँ से वह निकलने ही वाला था कि उसने किसी बच्चे का रोना सुना और उसका साथी गुर्राया 'यि कर्नावुन छ़ोपॅ' और वह बच्चा 24वाँ शिकार बन गया।[38] वे यह सब छिपाना क्यों चाहते हैं? वे गिरिजा टिक्कू की हकीकत क्यों छिपाना चाहते हैं जिसका बलात्कार किया गया और उसे जीते जी आरे वाली मशीन से दो टुकड़े कर दिए?[39] वे बीके गंजू की वह सच्चाई क्यों छुपाना चाहते हैं कि जब वह चावल के ड्रम में छिपा हुआ था जिहादी लोग उसके मुस्लिम पड़ोसी की मुखबिरी पर उसे ढूँढ़ते हुए आए और गोली मार दी।[40] इतना ही नहीं, उसी के खून में सने हुए चावल उसकी पत्नी को खिलाए। वे उस सच से मुंह क्यों मोड़ना चाहते हैं जब 19 जनवरी 1990 को मस्जिदों से वह नारा गूँजा था 'रलिव, चलिव, गलिव' मतलब 'धर्म परिवर्तन कर लो, भाग जाओ या मारे जाओ'; 'काफिरों के लिए मौत'; "पंडितो! तुम चले जाओ और अपनी औरतों को छोड़ दो"; 'निजाम-ए- मुस्तफा';[41] यह सब कुछ क्यों छुपाना चाहते हैं?

इस सामूहिक नरसंहार का दूसरा पहलू क्या है, जो उनकी माँगें थीं उसे भी सामने लाया जाना चाहिए? स्क्वाड्रन लीडर खन्ना[42] के हत्यारे यासीन मलिक को दम आलू पसंद थे? 42 कश्मीरी हिंदुओं[43] का हत्यारा बिट्टा कराटे एक शॉल बुनकर का बेटा था? नाडीमर्ग नरसंहार को अंजाम देने वाला जिया मुस्तफा अस्पताल में कंपाउंडर था? मैं आपको बताता हूँ कि वे सारी सच्चाई क्यों छुपाना चाहते हैं। क्योंकि, 'द कश्मीर फाइल्स' केवल एक फिल्म नहीं है बल्कि भूले हुए अतीत की स्मृतियों का पूरा एक संग्रह है। गिरिजा का, गंजू का, दीनानाथ का और ऐसे दसों हजार कश्मीरी हिंदुओं का जो

अपने ही दोस्तों के धोखे का शिकार हुए। लेकिन वे भूल गए, वे कश्मीरी हिंदुओं से उनका घर तो छीन सकते थे लेकिन उनसे उनके शब्द नहीं। एक फिल्म के घेरे में आ जाने के कारण लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि उनका कोई भौतिक रूप है, एक रूप जिसे नष्ट किया जा सकता है फिल्मों को नष्ट करके। लेकिन, उनके घेरे में आने से बहुत पहले शब्दों का वजूद था। शब्द कभी मरते नहीं। वे हमेशा जीवित रहते हैं। आततायियों के आने पर हम उन्हें ढँक देते हैं और छिपा लेते हैं, जैसा हमारे पूर्वजों ने किया; और भले ही 30 या 300 या 3000 साल लग जाएँ लेकिन वे फिर से गूंजेंगे और जरूर गूंजेंगे। और जब भी उनके शब्द उन हिंसक घाटियों में गूंजेंगे, जहाँ लोग केवल बम चलाना जानते हैं, ये शब्द दीयों की तरह जल उठेंगे। यह बात पक्की है कि मैं उन इस्लाम अनुयायियों और राजनेताओं की चिंता नहीं करता, जो उन शब्दों को भूल गए। मेरी चिंता तो यह है कि हमारी सरकारें, हमारी न्यायपालिका और हमारा समाज उन्हें भूल गया है। लोकतंत्र के ये स्तंभ गिरिजा के चीखों को और दीनानाथ के विलाप को कैसे भूल सकते हैं; कैसे? उन्हें सुनकर, उन डरावनी आवाजों को सुनकर किसी की सारी आशाएँ धूमिल हो सकती हैं और वे हैरान हो सकते हैं कि कथाओं में वर्णित वह नैतिक जगत् भी कश्मीरी हिंदुओं के लिए कभी न्याय की तरफ मुड़ेगा। स्मरण रहे कि 5 वर्ष पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने कश्मीरी हिंदुओं के विरुद्ध हुए उन आपराधिक उत्पीड़न के मामलों पर दोबारा विचार करने से यह कहकर मना कर दिया था कि बहुत लंबा समय बीत चुका है।[44] आपने ठीक ही पढ़ा, न्याय अब समय के मुकाबले तौला जाएगा। बीते हुआ समय बीता हुआ न्याय है। दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को दोबारा न खोलने के अपने पहले के फैसले पर कायम रहा।[45]

ऐसा नहीं है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कश्मीरी हिंदुओं के दुख को लेकर भेदभाव का नजरिया रखता हो। उनका यह दुख तब

और भी बढ़ जाता है जब सैयद शाह गिलानी जैसे अलगाववादी नेताओं की खुशामद और स्तुति गान करके उनके जख्मों पर नमक रगड़ दिया जाता है। कश्मीरी हिंदूओं के सामूहिक नरसंहार और जातीय हिंसा के लिए बराबर का जिम्मेदार होने पर भी पत्रकारों से लेकर राजनेता, जज, बुद्धिजीवी और वे सब जिन्हें कभी भी कश्मीर समस्या पर कुछ कहा या किया हो, सबने इस व्यक्ति के साथ याराना रखा है। जीवित रहते हुए तो उसे लगातार सम्मान मिला और अब मौत के बाद भी उसे बहुत प्यार से याद किया जाता है। गिलानी कश्मीर को धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक कट्टरता, सामूहिक जनसंहार, हिंदुओं की जलावतनी और ऐसे अनगिनत अनकहे दुखों में धकेल देने का जिम्मेदार माना जाता है। एक व्यक्ति को जानने और समझने का सबसे अच्छा तरीका उसके कहे गए शब्द हैं। इसलिए मैं जिलानी के शब्दों के उद्धरण देता हूँ जो उसकी किताब नवा-ए-हुर्रियत में पढ़ने को मिलते हैं- क) इस्लाम और मुसलमानों का इजराइल से भी बड़ा दुश्मन भारत है। ख) मुस्लिम वह कौम है जो हिंदुओं से पूरी तरह से अलग है। मुस्लिम पूरी तरह से अपने धर्म के आधार पर, जाति, सभ्यता, रीति-रिवाज और आचार- व्यवहार तथा विचार की दृष्टि से पूर्णतः एक अलग राष्ट्र है। उनका राष्ट्रवाद और उनकी एकता की बुनियाद कभी भी मातृभूमि जाति, भाषा, रंग या आर्थिक व्यवस्था पर आधारित नहीं हो सकती। उनकी एकता का आधार केवल और केवल इस्लाम है; ग) पाकिस्तान इस्लाम के एकाधिपत्य और इस्लामी व्यवस्था कायम करने के लिए बना था। पाकिस्तान कश्मीरियों के सपनों का देश है क्योंकि इसे इस्लाम की खातिर ही जीता गया था। घ) भारत में विलय का परिणाम यह होगा कि मुस्लिमों को हमेशा हिन्दुओं की गुलामी में रहना होगा। कश्मीरियों का पूरा संघर्ष इस्लाम के लिए और पाकिस्तान में विलय के लिए है। ङ) कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनना ही चाहिए। हमारा लक्ष्य इस्लामिक सरकार की

स्थापना है। हमारा संघर्ष इस्लाम के लिए है। च) इस्लाम लोगों को दूसरे की गुलामी से बचाता है जबकि धर्मनिरपेक्षता लोगों को दिल्ली का गुलाम बनाती है। कश्मीर में भारतीय शासन के विरुद्ध हमारा संघर्ष कोई साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि एक जिहाद है। छ) मैं अफगान मुजाहिद्दीनों से प्रार्थना करता हूँ कि भारत से हमारी आज़ादी के लिए संघर्ष करने को आगे आएँ; ऐसा करके वे इस्लामी बंधुत्व और धार्मिक संकल्प का परिचय देंगे; ज) कुरान के अनुसार पाकिस्तानी लोगों को कश्मीर में आज़ादी के लिए चल रहे जिहाद में शामिल होना चाहिए। वस्तुतः, कश्मीर के जिहाद में भाग लेना केवल पाकिस्तानी मुस्लिम के लिए ही नहीं, अपितु पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कर्तव्य है।[46] गिलानी के ये शब्द आपको उसकी दुनिया की एक झलक दिखाते हैं- वह दुनिया जो भारत और हिन्दुओं के लिए नफरत से भरी है। मेरा कहना बिलकुल साफ़ है। आप उनकी स्तुति करें या निंदा, आप उनका भरोसा कभी नहीं जीत सकते; आपकी निष्ठा भारत के प्रति नहीं है। आपकी निष्ठा आपके अपने लोगों के प्रति नहीं है जो जातीय नरसंहार भोग चुके हैं और जिन्हें बहुत सी अनकही पीड़ाओं और जनसंहार में झोंका गया।

और जब हम निष्ठा की बात करते हैं तो हमें यथार्थ से आंखें नहीं चुरानी चाहिए कि केंद्र का हर राजनेता चाहे वह कांग्रेस से हो, जनता दल या बीजेपी से हो, उन सब ने कश्मीर के उन राजनीतिक दलों के साथ आशिक़ी की है जिनकी निष्ठा हमेशा से संदिग्ध रही है। सच कहा जाए तो कश्मीर साँप-सीढ़ी के खेल में बदल चुका है। इस खेल में सीढ़ी पाकिस्तान देता है और साँप भारतीयों की ओर से दिया जाता है। मैं जब कहता हूँ भारतीय तो मुझे शंका होती है कि ये लोग खुद को भारतीय भी मानते हैं या नहीं! उनकी पहली वफादारी अपने धर्म के प्रति है, दूसरी पाकिस्तान के प्रति, तीसरी चीन के प्रति और चौथी अपने खानदान के प्रति। यह एक सच है

कि हैदराबाद भी आज के कश्मीर की तरह बन सकता था और मीडिया के मूढ़मति उसे पर लंबे-लंबे आलेख लिख रहे होते लेकिन एक सरदार पटेल ने सारा खेल पलट दिया। और कश्मीर बहुत सरलता से आज का हैदराबाद बन सकता था लेकिन दो लोगों, नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने यह होने नहीं दिया। उन्होंने साँप-सीढ़ी की बिसात बिछाई जो उनके वंशज उस समय से आज तक खेलते आ रहे हैं और साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया है कि भारत की कहानी में उबलती हुई और उसका अटूट हिस्सा रही सांप्रदायिक कट्टरता, जातीय नरसंहार, आतंकवाद और धार्मिक उन्माद कभी भी न आ सकें। वे मानवाधिकार और धार्मिक अधिकारों की बात करते हैं जबकि आपने उन्हें अहमदियों और बलूचों के विरुद्ध पाकिस्तान के अत्याचारों पर कब बोलते सुना है, हिंदुओं और ईसाई अल्पसंख्यकों की बात तो दूर है? आपने उन्हें चीन के खिलाफ कब बोलते सुना है जो उईगर मुसलमानों की 10 लाख से अधिक आबादी को यातना शिविरों में रखकर सूअर का माँस खिला रहे हैं?[47] आपने उन्हें कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए के कारण होने वाले लाखों दलितों, गोरखाओं, महिलाओं, सिखों, शरणार्थियों और समलैंगिकों के मानव अधिकारों के क्रूर दमन के विरुद्ध कब बोलते सुना है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वे बोलते जरूर हैं जब उनकी शक्तियों और प्राधिकारों के लिए कोई खतरा सामने पेश आता है। जैसे शेख अब्दुल्ला एक बार बोले थे और दावा किया था कि अपने लिए फैसला करना उनका अधिकार है और जो देश इसका समर्थन नहीं करते वे उनके दुश्मन हैं। या फारूक अब्दुल्ला ने एक बार कहा था और मैं उद्धृत कर रहा हूँ- "वे अनुच्छेद 370 को खत्म करना चाहते हैं और हम चुप रहेंगे? इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। हम उनको चुनौती देंगे। अल्लाह जरूर चाहता है कि हम भारत से आजाद हो जाएँ? जब बात एक और वंशवादी महबूबा मुफ्ती की आती है तो फिर उनसे बड़ा

दोमुँहापन कहीं किसी को मिल नहीं सकता। एक बलात्कार के आरोपी को चुनाव का उम्मीदवार बनाने से लेकर धारा 370 के हटाए जाने पर खून की नदियाँ बहा देने की धमकी, आतंकवादी वानी की मौत पर मातम मनाना, यह कहना कि धारा 370 के हटाए जाने पर यहाँ तिरंगे के स्थान पर कोई और ही ध्वज फहराया जाएगा, शरिया कानून के हिसाब से दंड-विधान - लोगों को पत्थर मारकर मौत की नींद सुलाने जैसी सजाएँ- लागू करने की इच्छा प्रकट करना, सुश्री मुफ्ती ने ऐसे सारे बदबू छोड़ते कचरे के पहाड़ों की चोटियाँ नापी हैं। ऐसे नेताओं से और उनकी सरकारों से किसी सहानुभूति या सहायता की आशा करना कश्मीरी हिंदुओं के लिए सीधे-सीधे कहूँ तो आत्मघाती होगा। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, हम चिल्लाते हैं, हजार बहाने बनाते हैं लेकिन हम इस सच्चाई से भाग नहीं सकते कि कश्मीरी हिंदू अज्ञातवास का जीवन जी रहे हैं। जैसा कि सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेज में बहुत पीड़ा में डूबकर लिखा है कि "एक अज्ञातवास गौरवपूर्ण वापसी का स्वप्न है; यह एक अंतहीन विडंबना है; आगे देखते हुए भी पीछे देखना है। एक अज्ञातवास हवा में बहुत ऊपर उछाल दी गई एक गेंद की तरह है। वह ऊपर ही थम जाता है, समय की पिंजरे में कैद एक चित्र सा बन हुआ, हिलना-डुलना जिसके लिए नामुनासिब हो; जोअपनी ही धरती के ऊपर झूल रहा हो और वह वक्त के इंतजार में हो जब वह चित्र फिर से चल पड़ेगा अपनी हिस्से की धरती फिर से पा लेने के लिए।"

आखिर वह तस्वीर चलना कब शुरू होगी? यह सोच करके ही दिमाग सुन्न पड़ने लगता है कि एक देश 30 साल से अपनी दुनिया में मगन है जब लगभग 5 लाख हिंदुओं को अपनी ही धरती पर शरणार्थी बना दिया गया। क्या एक हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के साथ ऐसा ही सब कुछ होना चाहिए? हम दुनिया में इकलौते ऐसे देश हैं जहाँ कोई भी सरकार कोई भी पार्टी - दक्षिण या वाम या मध्यममार्गी

- उसने ऐसा होने दिया है। 2019 से पहले के 3 साल में कश्मीर में विधि व्यवस्था के 3,686 मामले सामने आए। 2019 के बाद के 3 वर्षों में यह संख्या महज 438 है।[48] 2018 से आतंकी वारदातों में 40% से ज्यादा की कमी आई है।[49] लेकिन तब भी ऐसा क्यों है कि केवल 5000 कश्मीरी हिंदू घर लौट सके हैं? और उनमें से कुछ 25 से ज्यादा लोगों की चुनकर हत्याएँ करने के मामले में जान गई है। 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म को कर मुक्त करना बहुत अच्छी बात है लेकिन अपना धर्म याद रखिए कि 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर जरूर वापस लाना है। एक कश्मीरी हिंदू कार्यकर्ता और पत्रकार आदित्य राज कौल के पिता श्री उत्पल कौल हर साल 19 जनवरी को अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे से एक मसला हुआ कागज का टुकड़ा निकालते हैं। यह एक बस टिकट है। इस पर एक तारीख लिखी है। वह तारीख है 19 जनवरी 1990। हर साल वे ऐसा करते हैं और हर साल आदित्य मुझे यह दिखाता है।[50] मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि एक पिता के लिए 33 वर्षों तक एक बस टिकट को संभाल कर रखने का क्या मतलब है? क्या वे उस खौफनाक सफर को स्वयं को बार-बार याद दिलाने के लिए, जिसमें वे अपनी पत्नी और एक महीने के बच्चे आदित्य को जूट के बोरे में कस कर छुपाते हुए लाए थे जबकि वे खुद वे इस सोच में डूबे हुए चले थे कि उन्होंने वहाँ क्या कुछ पीछे छोड़ दिया था? क्या यह खुद को हर गुजरते क्षण में यह याद दिलाने के लिए है कि वे सुरक्षित जीवन की तरफ कदम दर कदम लौट रहे हैं? क्या यह खुद को वह धुंधली तस्वीर स्मरण दिलाने के लिए है जो बस में उन्हें आने वाले कल के संघर्ष की छवि दिखला रही थी ? या यह खुद को याद दिलाने के लिए था कि उन्हें कमजोर नहीं पड़ना क्योंकि यह क्रूर और निर्मम देश है तथा यह भी कि यह लड़ाई उनकी अकेले की है और उन्हें इन सब से अकेले ही लड़ना होगा? इस पूरे समय उनके गद्दे के नीचे रखा हुआ बस टिकट 19 जनवरी 1990 से प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक महीने

के प्रत्येक दिन की प्रत्येक रात के अपार दुख का बोझ ढोने के लिए था?

नहीं।

उन्होंने इसे रखा था कि आज से वे यह मान कर चलेंगे कि बस का टिकट उनका बुरा वक्त था और वे उसकी आँखों में आँखें डालकर देखेंगे और उसे कहेंगे कि वे रुके हैं लेकिन टूटे नहीं है; कि वे हारे नहीं हैं; कि वे खुद को खड़ा करेंगे; काम ढूंढेंगे; बच्चों को पढ़ाएँगे; भोजन की व्यवस्था करेंगे और हर नए दिन का चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ इस तरह स्वागत करेंगे जैसे उन्होंने अंतिम बार किया था; कि वे कभी पराजित नहीं होंगे। और इसलिए कि वे किसी 19 जनवरी की तय तारीख को गद्दे के नीचे से हाथ डालकर वह टिकट निकालेंगे और अपने बेटे को देंगे यह कहते हुए कि बेटे यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ; अब यह तुम्हारा है; अब तुम इसका ध्यान रखना क्योंकि इसे तुम्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना है। उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक व्यक्ति के शरीर को भागने पर मजबूर किया जा सकता है लेकिन आत्मा को नहीं। उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। हम कश्मीरी हिंदू हैं बेटे, और हम डटकर खड़े हैं आज अपने पैरों पर। और एक दिन हम अपने घर को वापस जाएँगे।

समय निकलता जा रहा है। एक शरणार्थी अपना भाग्य स्वीकार कर लेता है और उसके साथ मिले हुए अपमान को भी क्योंकि उसे आने वाले नए जीवन के बारे में चिंता करनी होती है। वह शिकायत करना भूल जाता है। और यही एक जानलेवा भूल होती है। वामपंथियों की कुलदेवी अरुंधति रॉय ने एक बार माओवादियों के पाप को ढँकने के लिए उन्हें बंदूक वाला गाँधी कह दिया था और यही वह इकलौता कारण है कि उनके दुख के बारे में कोई चिंता नहीं करता। क्योंकि, यह देश बंदूक की नाल से निकलने वाली शिकायतें सुनता है न कि कलम की स्याही से निकली हुई। यह देश मानता है

कि निष्क्रियता भी एक प्रकार की दवा है। यह मानता है कि समय सारे घाव भर देता है। यह मानता है कि घाव सड़ते नहीं। यह मानता है कि अज्ञातवासी कभी लौटते नहीं। यह देश उस काल की प्रतीक्षा में है जो इसके लोगों को उनकी बुरी स्मृतियों से मुक्त कर देगा। इस देश की यह इच्छा है कि कश्मीरी हिंदू मृत्यु के बाद के जीवन में खुश और प्रसन्न रहें। कश्मीरी हिंदू यहूदी है लेकिन अफसोस कि भारत इजराइल नहीं है। वे कश्मीर को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। गलत। यह पूर्व का सैब्रेनिका है और कश्मीरी पंडितों के घर लौटने तक इसे यही कहा जाता रहेगा।

3

वक्फ़ अधिनियम, 1995

रक्षा और रेलवे के बाद वक्फ के पास भारत में तीसरी सबसे बड़ी ज़मीन की मिल्कियत है,[51] और मजे की बात यह कि इसकी अधिकांश ज़मीन आज़ादी से पहले की है और अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच प्रपंचपूर्ण लेन-देन में मिली संपत्ति है, जिसकी वे लीपापोती करना चाहते थे। दरअसल, वक्फ की कई जमीनें 1857 से पहले की हैं।[52] दिल्ली का 77 प्रतिशत हिस्सा वक्फ की जमीन पर है,[53] जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय भी शामिल है। सेंट्रल विस्टा का वह प्रतिष्ठित इलाका, जिसका हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है एवं नई चमचमाती और दमकती सरकारी इमारतें बन रही हैं, वक्फ भूमि पर है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वक्फ भूमि पर हैं।[54] एक भारतीय के जीवन में केवल तीन चीजें निश्चित हैं-मृत्यु, कर और तीसरा यह कि, जाने-अनजाने वह हर दिन वक्फ भूमि पर चलता है।

समय के साथ इनमें से कई वक्फ संपत्तियों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन फिर अकारण ही 2014 में शासनकाल के अंतिम मुकाम पर यूपीए सरकार ने अपने आखिरी फैसलों में से एक सेंट्रल दिल्ली की 123 बेहतरीन संपत्तियाँ वक्फ को उपहार में दे दीं और इन कीमती भू-संपदाओं पर से अपना दावा छोड़ दिया।[55] ये बहुमूल्य भू-संपदा हमारी आजादी के समय से है और अंग्रेजों ने जाते

हुए यह सरकार को दान कर दी थी। स्थिति 70 वर्षों तक बनी रही और 5 मार्च 2014 को जब सत्ता छोड़ रही कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देने का फैसला किया, तो यह बदल गई।[56] यहां तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी अपनी राय देते हुए कहा कि वक्फ की ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह ही की है और सरकार इस ज़मीन की मालिक नहीं हो सकती।[57] ऐसा नहीं कि वक्फ सिर्फ सरकारी इमारतों पर ही अपनी संपत्ति का दावा करता हो; मुकेश अंबानी का घर वक्फ की जमीन पर है।[58] वक्फ बोर्ड 3,54,913 संपदाओं और 8,66,035 परिसंपत्तियों जिनका कुल भू-क्षेत्र 8,02,000 एकड़ की भारतीय भूमि है, पर अपना दावा करता है और जिसमें 2,13,833 का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ़ बोर्ड के पास है तथा शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ 15,386 हैं।[59] ये आँकड़े भारत के वक्फ प्रबंधन प्रणाली से लिए गए हैं, जिनका आदर्श वाक्य उनकी वेबसाइट पर कुछ इस प्रकार लिखा मिलता है-'एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ' है।

यदि वे गहराई से देखें तो पाएंगे कि यह भव्य आदर्श वाक्य वक्फ बोर्ड या उसके किसी सदस्य के विचार या सोच नहीं है। वास्तव में, यह सुप्रीम कोर्ट के 1998 के फैसले, केस संख्या 4372 एससीआर 398 की शब्दशः उद्घोषणा है। और यह महान् पंक्ति कहने वाले माननीय न्यायाधीश का नाम? न्यायमूर्ति डॉ. आनंद।[60]

वक्फ का अनिवार्य रूप से आशय है कि दान की गई कोई भी संपत्ति हमेशा के लिए अल्लाह की है। इस्लामी कानून द्वारा निर्णीत किसी भी संपत्ति को वक्फ पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ घोषित करता है और इसलिए उसे वक्फ का दर्जा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, वक्फ को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता और न ही वापस किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि यह मेरी उर्वर कल्पना का फल है, तो मैं सीधे वक्फ बोर्ड के दस्तावेज़ का हवाला देता हूँ: 'वक्फ किसी के धन का एक हिस्सा नकद या वस्तु के रूप में अल्लाह

को स्वैच्छिक, स्थायी और अपरिवर्तनीय समर्पण है। एक बार वक्फ हो जाने के बाद यह कभी भी किसी को उपहार में नहीं दिया जा सकता, विरासत में प्राप्त नहीं किया जा सकता या बेचा नहीं जा सकता। यह वक्फ का खजाना अल्लाह का है सदैव एक अक्षय कोष है। वक्फ का उपयोग शरिया में स्वीकृत किन्हीं भी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।[61]

यदि आपको जिज्ञासा हो रही हो तो जान लीजिए कि वक्फ बोर्डों का नेतृत्व और गठन विशेष रूप से मुसलमानों द्वारा किया जाता है।[62] यदि यह पर्याप्त भेदभावपूर्ण नहीं लगता, तो मैं आपको वक्फ अधिनियम, 1995 की कुछ धाराओं की जानकारी देना चाहता हूँ।

इस अधिनियम की धारा 4 वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त को सिविल कोर्ट की तरह अधिकार और शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा, सर्वेक्षण की पूरी लागत राज्य द्वारा वहन की जाती है।[63] तो, संक्षेप में, एक हिंदू की संपत्ति, जिसे एक बार वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई, पूरी तरह अपनी मनमर्जी से वक्फ द्वारा उसका सर्वेक्षण किया जाएगा, और इस संबंध में होने वाले व्यय का भुगतान उस हिंदू करदाता द्वारा किया जाएगा। और लोग कहते हैं कि हम फासीवादी हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं।

अधिनियम की धारा 40 वक्फ को यह तय करने की शक्ति देती है कि आपकी जमीन वक्फ है या नहीं।[64] वास्तव में, यदि आपकी संपत्ति पर वक्फ द्वारा दावा किया जाता है, तो उसके दावे को खारिज करने की जिम्मेदारी आपकी है। और, जब तक आप इसे झुठला नहीं देते, तब तक यह वक्फ भूमि है। यह निर्णय कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है: (1) बोर्ड स्वयं किसी भी संपत्ति के संबंध में जानकारी एकत्र कर सकता है जिसके बारे में इसके पास वक्फ संपत्ति होने की संभावना पर विश्वास करने का कारण है और यदि कोई सवाल उठता है कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, या क्या कोई वक्फ सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ, तो वह ऐसी

जाँच करने के बाद, जो वह उचित समझे, विषय पर निर्णय कर सकता है। (2) उप-धारा 1 के तहत किसी विषय पर बोर्ड का निर्णय, जब तक कि ट्रिब्यूनल द्वारा रद्द या संशोधित नहीं किया जाता, अंतिम होगा। (3) जहाँ बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अनुसरण में या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी ट्रस्ट या सोसायटी की कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो बोर्ड, ऐसे अधिनियम में किसी भी बात के सन्निविष्ट होते हुए भी, ऐसी संपत्ति के संबंध में जाँच करे और यदि ऐसी जाँच के बाद बोर्ड संतुष्ट है कि वह संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो ट्रस्ट या सोसायटी को, जैसा भी मामला हो, ऐसी संपत्ति को इस अधिनियम के तहत वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने के लिए कहे या कारण बताने को कहे कि ऐसी संपत्ति को पंजीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए, बशर्ते कि ऐसे सभी मामलों में इस उप-धारा के तहत की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का नोटिस उस प्राधिकारी को दिया जाएगा जिसके द्वारा ट्रस्ट या सोसायटी पंजीकृत हुई हो। (4) बोर्ड , उप-धारा (3) के तहत नोटिस के अनुसरण में दिखाए गए ऐसे कारणों पर विधिवत विचार करने के बाद, ऐसे आदेश पारित करेगा जो उचित समझे और बोर्ड द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा, जब तक कि इसे एक ट्रिब्यूनल द्वारा संशोधित या रद्द नहीं किया जाता है।

धारा 54 वक्फ को आपको अतिक्रमणकारी घोषित करने का अधिकार देती है।[65] वक्फ संपत्ति से अतिक्रमण हटाना (1) जब भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिकायत प्राप्त होने पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर विचार करता है कि किसी भवन, स्थान या अन्य संपत्ति जो वक्फ संपत्ति है और, जो इस अधिनियम के तहत विहित रूप में पंजीकृत हुआ हो, अतिक्रमित किया गया है, अतिक्रमणकर्ता को एक नोटिस जिसमें अतिक्रमण का विवरण निर्दिष्ट हो, दिलवाएगा और

ऐसे नोटिस में,उसे निर्दिष्ट तिथि से पहले यह कारण बताने के लिए कहा जाएगा, कि अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और ऐसे नोटिस की एक प्रति संबंधित मुतवल्ली को भी भेजनी चाहिए। (2) उप धारा (1) के अधीन उल्लिखित किसी विषय में नोटिस की तामील यथाविहित प्रकार से की जाएगी (3) यदि, नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद, और निर्धारित तरीके से जाँच करने के बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतुष्ट है कि प्रश्नांकित संपत्ति वक्फ संपत्ति है और ऐसी किसी भी वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण हुआ है, वह इस तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए बेदखली का आदेश देने हेतु ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकता है और अतिक्रमित की गई भूमि, भवन, स्थान या अन्य संपत्ति का कब्जा वक्फ के मुतवल्ली को दे सकता है। (4) ट्रिब्यूनल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी से ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, उसमें दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, बेदखली का आदेश देता है जिसमें निर्देश उल्लिखित होता है कि वक्फ संपत्ति, उन सभी व्यक्तियों द्वारा खाली कर दी जाएगी जो संपत्ति के या उसके किसी हिस्से पर कब्ज़ा किए हों, और आदेश की एक प्रति बाहरी दरवाजे या वक्फ संपत्ति के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर चिपकाने के लिए कहें: बशर्ते कि ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश देने से पहले, व्यक्ति के पक्ष को सुनवाई का अवसर दे, जिसके विरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बेदखली के लिए आवेदन किया गया है। (5) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (2) के तहत आदेश की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर बेदखली के आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति यह उस व्यक्ति को वक्फ संपत्ति से बेदखल कर सकता है और उस पर कब्जा कर सकता है।'

आइये अब खरी-खरी बात करते हैं। वक्फ अपने विवेक से निर्णय लेता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है; इसके बाद यह

'अतिक्रमणकारी' को नोटिस भेजता है; इसके बाद, यह मामले को वक्फ ट्रिब्यूनल में ले जाता है और ट्रिब्यूनल उक्त संपत्ति की श्रेणी पर निर्णय करते हुए बेदखली का आदेश देता है।

आतंक पैराग्राफ दर पैराग्राफ, सेक्शन दर सेक्शन जारी है। धारा 85 में कहा गया है: ' इस अधिनियम के अधीन अथवा अधिनियम के द्वारा ऐसा वांछित होने पर, ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारणीय किसी भी वक्फ, वक्फ संपत्ति, या अन्य मामले से संबंधित कोई भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामलों के संबंध में किसी भी दीवानी अदालत में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।[66] वस्तुतः, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में यह घोषणा[67] की थी कि वक्फ संपत्ति से संबंधित मुकदमे के मामले में भारत के सिविल न्यायालय के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

मैं आपको जमीनी हकीकत याद दिला दूँ। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को केवल लंबी और आर्थिक रूप से निचोड़ देने वाली कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही पलटा जा सकता है। यह बात वक्फ को मालूम है। ऐसे देश में जहां चार करोड़ मामले लंबित हैं, एक सर्वतुष्टि का अनुसरण करने वाली सरकार, कार्यपालिका और न्यायपालिका के आंतरिक कार्यालयों से शुरू होने वाली कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उत्पीड़न एक ऐसी तलवार की तरह है जो खालिद की तुलना में अधिक तेज और अधिक शक्तिशाली है।

फिर, कोई यह पूछ सकता है कि वक्फ अधिनियम, 1995, जो कि किसी एकांत में स्थित पागलखाने पर भी लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से बेतुका है, उसे 1.3 अरब लोगों के देश में कैसे लागू किया गया है, यह मानते हुए कि दोनों एक ही नहीं हैं? याद रखें, इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वक्फ द्वारा विनियोजित की जा रही हिंदुओं की धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा करता हो। यह न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, बल्कि हमारे संविधान के शुरूआती अनुच्छेद 14, 15 और 25 का भी उल्लंघन

करता है। भाजपा के कट्टरवादी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने हाल ही में वक्फ अधिनियम की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की है।[68] उनकी दलील थी कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम सांसद, विधायक, सिविल सेवक, वकील और विद्वान सदस्य हैं और उन्हें करदाताओं द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है, भले ही राज्य मस्जिदों से पैसा इकट्ठा नहीं करता है, यह कैसी धर्मनिरपेक्षता है? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और इसे खारिज कर दिया। जज ने याचिका को हवा-हवाई बताया।[69] वह जज अब भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और अगले कई वर्षों तक रहेंगे।

तबाही जारी है। यहां धारा 28 है[70] जिसमें वक्फ बोर्ड के निर्देशों को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अनुमंडलीय मजिस्ट्रेट की शक्तियों का विवरण है: 'इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, जिला मजिस्ट्रेट या उसकी अनुपस्थिति में राज्य में किसी जिले का अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या अनुमंडलीय मजिस्ट्रेट बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से सूचित किया जा सकता है, और बोर्ड जहाँ भी आवश्यक समझे अपने निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए ट्रिब्यूनल से निर्देश मांगें?

फिर धारा 107 है।[71] अब कानून में, कुछ ऐसा भी है जिसे परिसीमन संविधि कहा जाता है, यानि, किसी विवाद पर कार्रवाई करने या मुकदमा दायर करने की समय अवधि कानून द्वारा निर्धारित की जाती है, और यह कानून परिसीमन अधिनियम, 1963 के माध्यम से अधिनियमित किया जाता है।। लेकिन ठहरिए। धारा 107 में कहा गया है: '1963 के अधिनियम की धारा 36 वक्फ संपत्तियों की वसूली के लिए लागू नहीं होगी। परिसीमन अधिनियम, 1963 में निहित कोई भी बात किसी वक्फ में शामिल अचल संपत्ति

के कब्जे के लिए या ऐसी संपत्ति में किसी भी हित के स्वामित्व के लिए किसी भी वाद पर लागू नहीं होगी।

इसका मतलब यह है कि वक्फ समय-सीमा की चिंता किए बिना अपनी इच्छानुसार किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता है और उसे वापस पा सकता है। वक्फ, जैसा कि आप अब तक समझ गए होंगे, एक समानांतर सरकार है, जिसे पूरी तरह से हमारी अपनी सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके सर्वसमावेशी बोर्ड के माध्यम से इसकी अपनी विधायिका है; अपने सर्वेक्षकों और संपदा एवं अनुपालन अधिकारियों के माध्यम से अपनी स्वयं की कार्यपालिका; और अपने ट्रिब्यूनल के माध्यम से अपनी न्यायपालिका। और इस अधिनियम के माध्यम से, इसके प्रयोग के माध्यम से, एक संदेश इस देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाता है कि हम खास लोग हैं। और वह संदेश सर्वव्यापी और अपरिवर्तनीय है। यह वह संदेश है जो मुसलमानों को, यहाँ तक कि व्यावहारिक, तर्काग्रही और शिक्षित मुसलमानों को भी यह दावा करने की अनुमति देता है कि भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर बनी ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ भूमि पर है।[72] तो, क्या भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और उनकी अपनी प्रमाणित जीवनी मासीर-ए-आलमगिरी से इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है, भी वक्फ भूमि पर था? यह वह संदेश है जो मुसलमानों को यह दावा करने की अनुमति देता है कि तमिलनाडु में 1,500 साल पुराना प्रतिष्ठित मनेंदियावल्ली चन्द्रशेखर स्वामी मंदिर वक्फ भूमि पर है।[73] मैं आपसे पूछता हूं-1,500 साल पुराने हिंदू मंदिर को वक्फ द्वारा इस्लामी भूमि पर निर्मित कैसे ठहराया जा सकता है, जबकि इस्लाम केवल 1,300 वर्ष पुराना है?

वक्फ के बारे में जितना अधिक आप पढ़ते हैं, उतना ही आपको पता चलता है कि इसकी ताकत का बड़ा हिस्सा न केवल कठोर वक्फ अधिनियम के माध्यम से, बल्कि उस पत्र के माध्यम से भी है,

जिसे पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान सभी राज्यों को अपने हुक्म का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया था।[74] उन्होंने लिखा कि यदि वक्फ संपत्तियाँ राज्य सरकार के विभागों के पास प्रतिकूल स्वामित्व में चली जाएँ, वक्फ बोर्ड संबंधित विभागों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है, और जहां राज्य द्वारा वक्फ भूमि पर महंगी इमारतें बनाई गई हैं और उन्हें खाली करना संभव नहीं है, राज्य सरकार प्रीमियम के रूप में बोर्डों को बाजार मूल्य का बड़ा हिस्सा भुगतान करने के बाद वक्फ बोर्डों के साथ स्थायी पट्टे पर समझौता कर सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि वक्फ बोर्डों ने सरकारी विभागों के कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों की सूची सरकार को भेजी है। उन्होंने यह देखने का आग्रह किया कि इन्हें उपर्युक्त सुझाव के अनुसार निपटाया जाए, समय-समय पर समीक्षा की जाए और उन्हें एक मासिक रिपोर्ट भेजी जाए। वक्फ को, जैसा कि समिति द्वारा निर्धारित किया गया है और केंद्र द्वारा सहमति प्राप्त है, व्यक्तिगत मकान मालिकों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए और इसलिए, किराया नियंत्रण अधिनियमों से छूट दी जानी चाहिए।

वक्फ ने कांग्रेस को केवल झुकने को कहा था। कांग्रेस ने रेंगने का फैसला किया। मैं वास्तव में, यूपीए के अंतिम दिनों के दौरान, वक्फ संपत्ति (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) विधेयक, 2014 को राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसमें एक व्यापक प्रावधान दिया गया था। यूपीए के शासनकाल के अंतिम क्षणों में वक्फ बेदखली अधिकारी को वक्फ संपत्ति का अतिक्रमण मानने वाली किसी भी चीज़ को ध्वस्त करने की कठोर शक्तियाँ दे दीं।[75]

इस पेश किए गए विधेयक के माध्यम से, न केवल वक्फ संपदा अधिकारी द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश को अंतिम माना जाएगा, बल्कि इसे किसी भी मूल मुकदमे या आवेदन में प्रश्नांकित नहीं किया जा सकता है, और किसी भी अदालत द्वारा इसके विरुद्ध कोई

निषेधादेश नहीं दिया जा सकता है। लेकिन चीजें सिर्फ निषेधाज्ञा पर ही नहीं रुकीं। विधेयक किसी भी भारतीय अदालत को किसी भी वक्फ संपत्ति से किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने या किसी भी वक्फ संपत्ति से किसी संरचना या ढाँचे को ध्वस्त करने से संबंधित किसी भी मुकदमे पर विचार करने के उनके अधिकार क्षेत्र में निषिद्ध करता है।

सौभाग्य से, हम अल्लाह की ज़मीन पर अतिक्रमण करने वालों के लिए, 2014 में कठोर कांग्रेस चली गई और उसकी जगह नरम कांग्रेस ने ले ली। तुष्टीकरण जारी है, यदि इस कठोर विधेयक के माध्यम से नहीं, तो कम से कम अंतरिम रूप से 1995 के अधिनियम के माध्यम से।

यह विवाद में नहीं है कि वक्फ अधिनियम, 1995 स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक, भेदभावपूर्ण, असंवैधानिक और कठोर है - किसी को केवल इसके खंडों और धाराओं को पढ़ना चाहिए ताकि यह महसूस हो सके कि हिंदूओं को किस कदर सड़े हुए हाथों से इस अधिनियम के मार्फ़त निपटाया गया हैं। यह तथ्य इस बेतुकेपन को और भी बढ़ा देता है कि वक्फ हर गुजरते दिन के साथ अपनी भूख में अतृप्त, अब एक ऐसी सतत चलायमान मशीन बन गया है, जो जमीन, संपत्ति और सरकारी दान को तेजी से और गुप्त रूप से निगल रही है, मानो कि दार-उल-हर्ब को दार-उल-इस्लाम में परिवर्तित करने के दैवी दायित्व के अधीन डॉ. अंबेडकर और उनके गहन ज्ञान को साबित करना हो।[76] यह अब कोई सदियों पुराना दान नहीं है; यह एक निरंतर विकसित होने वाला उत्परिवर्ती है, जो पूरी तरह से तुष्टीकरण और महानता प्रदर्शित करने वाले राज्य के लिए अनुकूलित है।

विभाजन के दौरान, जो हिंदू अब पाकिस्तान से भागकर भारत आए, उनकी संपत्ति तुरंत जब्त कर या तो मुस्लिम नागरिकों को वितरित कर दी गई या पाकिस्तान सरकार द्वारा ले ली गई। भारत से पाकिस्तान चले गए मुसलमानों के मामले में ऐसा नहीं है। उनकी

संपत्ति वक्फ को सौंप दी गई।[77] परिणामस्वरूप, इस भूमि पर रहने के लिए आए हिंदू शरणार्थियों को मनमाने ढंग से वृद्धि करने के नियम के अधीन किराया चुकाना पड़ रहा है। और अन्याय जारी है। हिंदुओं को अब अपना त्योहार मनाने के लिए वक्फ भूमि की भीख मांगनी होगी जैसा हाल ही में कर्नाटक में हुआ।[78] कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने सैकड़ों हजार एकड़ मंदिर भूमि को हड़प लिया है और 100,000 से अधिक मंदिरों को किराये की आय में लाखों करोड़ का नुकसान उठाने के लिए जिम्मेदार है। हिंदुओं के लिए ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। सिखों के लिए ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। ईसाइयों के लिए ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। यहां तक कि तुर्की, सूडान, मिस्र जैसे मुस्लिम बहुल देशों में भी मुसलमानों के लिए ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत है। यह हमारा भविष्य नहीं है; यह अब वर्तमान है।

4

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

सभी धार्मिक विचार-प्रणालियाँ समान हैं लेकिन कुछ-एक दूसरों की तुलना में थोड़े कमतर समान हैं। जब हिंदू संचालित स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं की बात आती है तो जॉर्ज ऑरवेल के इस हास्यानुकृति धर्मादेश की व्याख्या राज्य की सोच को दर्शाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम या आरटीई इस संसार में मूसा का वह कर्मचारी है जो यह सुनिश्चित करता है कि इस धर्मादेश का पालन किया जाए। अपने आप में एक उपयुक्त उपक्रम के रूप में आरटीई की प्रस्तावना कहती है: "6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम"।[79] लेकिन भेदभाव करने के संदर्भ में आरटीई की बराबरी करने वाले अधिनियम बहुत कम हैं। यह अधिनियम 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा पारित किया गया था।[80] सर्वविदित है कि यह आज के हिंदू राष्ट्र में प्रभावी है। सीधे शब्दों में कहे तो आरटीई हिंदू स्कूलों और संस्थाओं को नष्ट करने में लगा हुआ है। शायद यह धर्मनिरपेक्षता का सर्वव्यापी लक्ष्य है कि हिंदू धर्म को छोड़कर हर दूसरे धर्म, उसकी आस्थागत प्रणाली, उसकी जीवन शैली, उसके सांस्कृतिक मूल्य, उसकी शैक्षिक वीडियो, उसके ज्ञान, उसकी पुस्तकों और धर्म ग्रंथो की समृद्ध बनाने की अनुमति देना। और हिंदू धर्म के खत्म हो जाने के बाद हम इसे

प्यार से याद रखेंगे और इसकी महिमा का बखान करेंगे जैसे हम हर विलुप्त सभ्यता और संस्कृति के लिए करते हैं। इसे ही टैक्साइडर्मी फेटिश कहते हैं।

आरटीई के तहत कई ऐसे प्रावधान है जो चुनिंदा रूप से केवल गैर अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होते हैं।[81] उदाहरण के लिए आप कैपिटेशन शुल्क नहीं ले सकते या उन छात्रों की स्क्रीनिंग नहीं कर सकते जिन्हें आप प्रवेश देना चाहते हैं।[82] सरकार द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति कभी भी समय पर नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप स्कूल कर्ज में डूबते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें बंद करना पड़ता है।[83] आपके पास शिक्षकों के लिए एक सरकार विनियमित चयन प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें कोटा आधारित भर्ती भी शामिल है।[84] ऐसे कई भवन संबंधी और ढाँचागत प्रतिबंध और आवश्यकताएँ हैं जिनका एक स्कूल को पालन करना होता है-[85] सूची अंतहीन है; लेकिन इसके व्यापक कठोर प्रावधान निजी तौर पर संचालित हिंदू शैक्षणिक संस्थाओं के लिए मौत की दस्तक साबित हो रहे हैं जिसमें 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य वंचित समूहों के बच्चों को आवंटित करना अनिवार्य है।[87] यह अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होता है। इसलिए हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सेवा करने का दायित्व केवल हिंदू संचालित स्कूलों पर है न कि मुस्लिम या ईसाई संचालित संस्थानों पर।[88]

2017 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा के 3 साल बाद नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलाएन्स (निशा)[89] ने 12 राज्यों में उन स्कूलों की एक सूची तैयार की[90] जिन्हें आरटीई के कठोर प्रावधानों का पालन न करने के कारण सरकारों द्वारा बंद करने के लिए कहा गया था।[91] और चूंकि आरटीई मुख्य रूप से गैर अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होता है, कोई सहज ही समझ सकता है कि यह सब हिंदू संचालित स्कूल थे। हिंदवी स्वराज के गढ़ महाराष्ट्र में लगभग 7000 स्कूलों को बंद करने

के लिए कहा गया था।[92] हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बंद होने का खतरा सिर्फ स्कूलों के ऊपर ही नहीं है बल्कि यह उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों और माता-पिता के लिए भी भय का कारण है।

इसे 5 साल हुए जब निशा ने केंद्र से आरटीई पर फिर से विचार करने और और हिंदू विरोधी शक्तियों को कम करने का आग्रह किया था। इस पर हिंदू राष्ट्र की सरकार मौन है।

अब जैसा कि यह प्रसिद्ध पंक्तियां कहती हैं:

'जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों
यह मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारों'

आपको जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर कौन सी किताब है वह! एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हमारे पास सहारा लेने के लिए केवल एक ही किताब है। तो चलिए हम अपने संविधान पर नजर डालें। क्योंकि यदि भेदभाव पत्थर की लकीर है तो हमें कम से कम पत्थर की जांच तो करनी चाहिए। जिस पत्थर से जांच शुरू की जा सकती है वह अनुच्छेद 30 है। मैं अब शब्दशः उद्धृत करता हूँ - "सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। खंड 1 ए में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रकाशित किसी शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए अधिकार प्रदान करने वाला कोई भी कानून बनाने में राज्य यह सुनिश्चित करेगा की की ऐसी विधि द्वारा तय किए गए या इसके अंतर्गत निर्धारित की गई राशि इतनी होगी कि उस उपाबंध के अधीन सुनिश्चित अधिकार को सीमित अथवा विलोपित नहीं करेगा। 2. राज्य शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता देने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।[93]

न केवल इस अनुच्छेद की संरचना बल्कि इसमें प्रयुक्त शब्दावली और आलेखन के तरीके का परिणाम यह है कि कश्मीर में मुस्लिम, पंजाब में सिख और नगालैंड में ईसाई अभी भी अल्पसंख्यक माने जाते हैं और वह ऐसे स्कूल संचालित कर सकते हैं जिनके ऊपर आरटीई बाध्यकारी नहीं होगा। जबकि वास्तव में यह समुदाय संबंधित राज्यों में बहुसंख्यक हैं।

आईए, अब अनुच्छेद 28 को देखें।[94] केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी वोट बैंक की मिजाजपुर्सी के लिए इस अनुच्छेद के प्रावधानों से बच निकलने के कई रास्ते खोज निकाले हैं। अनुच्छेद कहता है: 1) पूरी तरह से राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धर्म निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा। 2) उपाबंध (1) का कोई भी प्रावधान राज्य द्वारा प्रशासित किंतु किसी धर्मदाय अथवा न्यास द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर प्रभावी नहीं होंगे जहाँ ऐसे धार्मिक निर्देश का शिक्षण आवश्यक हो। 3). राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान या उससे जुड़े किसी परिसर में दिए जाने वाले किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने या वहां आयोजित किसी भी धार्मिक पूजा में सम्मिलित होने की आवश्यकता तब तक नहीं होगी जब तक वह व्यक्ति स्वयं अथवा नाबालिग के मामले में उसके अभिभावक ने सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को ध्यान में रखकर अपनी सहमति नदी हो।

इसी से जुड़ा हुआ हमारे संविधान का अनुच्छेद 26[95] भी है जो सार्वजनिक व्यवस्था नैतिक मूल्य और स्वास्थ्य आदि को ध्यान में रखते हुए धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है और समाज कल्याण और धर्मार्थ उद्देश्य से प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव धर्म से संबंधित अपने मामलों के प्रबंधन चल और अचल

संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण एवं ऐसी संपत्ति पर विधि सम्मत तरीके से प्रशासन करने का अधिकार होगा।

आईए, अब मैं संविधान के अनुच्छेद 15 के उपाबंध 5[96] को पढ़ता हूँ जिसे वर्ष 2006 में संविधान के 93वें संशोधन के रूप में लाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 15 में उपाबंध 4 के बाद इसे जोड़ा गया अर्थात उपाबंध 5: "इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 19 के उपाबंध 1 के उपखंड जी में कोई भी प्रावधान के होते हुए भी नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए कानून द्वारा विशेष प्रावधान करने से- जहाँ तक ऐसे विशेष प्रावधान अनुच्छेद 30 के उपाबंध 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, में उनके प्रवेश से संबंधित कोई भी विशेष प्रावधान करने से राज्य को बाधित नहीं करेगा।

अब अनुच्छेद 15 - जो धर्म, नस्ल जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है - के खंड चार में पहले से ही राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। लेकिन, इसमें अल्पसंख्यक संस्थाओं को बाहर नहीं किया गया है और यह अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी हमारे नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की दिशा में काम करने का दायित्व डालता है। यह कांग्रेस के साथ-साथ वर्तमान सरकार के लिए भी अस्वीकार्य था क्योंकि यह संशोधन वर्तमान सत्ताधारी दल के समर्थन से पारित किया गया था।[97]

मुझे आशा है कि अब आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं की 93वाँ संशोधन ही वह अवलंब है जो अनुच्छेद 26 और 30 की

आज्ञाओं को स्थापित करने के लिए बनाया गया है और यह इसी अवलंब की नुमाईश के ही कारण है कि आरटीई अल्पसंख्यक संचालित स्कूलों पर लागू नहीं होता है, सिवाय शारीरिक दंड पर प्रतिबंध के सर्वव्यापी अपवाद के, जिसका सभी भारतीय स्कूलों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

इस घटनाक्रम को सार रूप में देखने के लिए सरकार चुनिंदा रूप से हिंदू संचालित स्कूलों में आरटीई नियमों को लागू करती है और उन्हें 25% ईडब्ल्यूएस कोटा बनाए रखने का आदेश देती है लेकिन समय पर शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं करती है – कुछ मामलों में तो इतने विलंब से कि 2019 में लगभग 4000 स्कूलों ने शुल्क प्रतिपूर्ति में विलंब के खिलाफ हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी।[98] बेपरवाह सरकारें स्कूलों को धमकाती हैं और प्रतिपूर्ति का भुगतान करने से बचने के लिए भूमि अधिभोग प्रावधानों के साथ उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। कर्ज और बंदी से बचने के लिए स्कूलों को सभी विद्यार्थियों के लिए फीस बढ़ाने को मजबूर किया जाता है। फीस वृद्धि हिंदू अभिभावकों को अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करती है। ज्यादातर हिंदू माता-पिता अपने बच्चों को हिंदू स्कूलों से दूर ले जाते हैं और फिर इन बच्चों का स्वागत अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों में किया जाता है और धार्मिक दायित्वों और संविधान में आस्था रखने वालों के लिए निर्धारित निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर, जहाँ उपदेश, धर्मांतरण और आस्थांतरण होते हैं धार्मिक कर्तव्यों के निर्वाह के क्रम में इन बच्चों पर अनिवार्य रूप से कभी सूक्ष्म रूप से कभी प्रत्यक्ष रूप से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाता है। इस बीच हिंदू स्कूलों को बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान किया गया है कि आरटीई 10000 से अधिक हिंदू संचालित स्कूलों को बंद करने के लिए जिम्मेदार है।

2017 की कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र द्वारा स्कूलों को कभी-कभी 307 दिनों तक की देरी से फंड जारी किया गया है।[99] इस तरह की देरी से न केवल स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाते हैं बल्कि बुनियादी ढांचे के विस्तार या उन्नयन की किसी भी योजना को छोड़ना पड़ता है।[100] विडंबना यह है कि ये आरटीई के अधीन स्कूलों द्वारा पूरा किए जाने वाले मानदंड हैं। आरटीई में इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार भले ही एक साल देर से ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों की फीस का भुगतान कर भी दे तब भी स्कूल को पाठ्य पुस्तकों, स्कूल पोशाक, परिवहन और अन्य सहायक चीजों के लिए भुगतान करना होगा जो हर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आवश्यक है, खासकर जब उसके माता-पिता आर्थिक रूप से वंचित हों।[101]

किसी स्कूल को आरटीई से छूट दी गई है या नहीं वह तय करने वाला प्राधिकरण राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग है। चौंकाने वाली बात यह है कि हालांकि, अपने निर्देशों में यह संस्था अर्धन्यायिक है, किसी हिंदू को इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता। दरअसल भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर कर एनसीएमईआई अधिनियम[102] को चुनौती देने और उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की अनुमति देने की माँग की है, जहाँ वे अल्पसंख्यक हैं। यह तार्किक और तर्कसंगत है खासकर इसलिए क्योंकि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू संचालित स्कूलों के अस्तित्व पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, लद्दाख और लक्षद्वीप में हिंदू अब अल्पसंख्यक हैं। लेकिन एक समूह ने याचिका का विरोध करते हुए इसे तुच्छ बताया है। नहीं, वह समूह कांग्रेस या चर्च या दारुल-उलूम नहीं था। वह समूह केंद्र सरकार था। सरकार ने उनकी याचिका को 'अस्थिर और कानून की दृष्टि से गलत'[103] बताया और अदालत से कहा कि याचिका 'व्यापक सार्वजनिक या

राष्ट्रीय हित में नहीं' थी। केंद्र ने उसी भेदभावपूर्ण राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) का समर्थन किया जिसके अधिनियम के तहत केवल मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यकों के रूप में सूचीबद्ध हैं। आक्रोश के बाद, वर्तमान सरकार ने अब इस मामले पर विचार करने के लिए अदालत से और समय माँगा है।[104] इस बीच, भेदभावपूर्ण आरटीई नियमों के बोझ तले हिंदू-संचालित धार्मिक और भाषाई स्कूल बंद होते जा रहे हैं। हिंदू मंदिरों को अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने न देने से अधिक क्रूर केवल एक ही चीज़ है, हिंदुओं को राज्य के हस्तक्षेप और नियंत्रण के डर के बिना अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान चलाने की अनुमति नहीं देना। और, यदि इस तथ्य से अधिक क्रूर कोई एक बात है कि ये दोनों क्रूरताएँ हिंदुओं पर हो रही हैं, तो वह यह है कि वे एक हिन्दू सरकार से संबद्ध हिंदुओं द्वारा ही की जा रही हैं। एक हिंदू राष्ट्र में।

5

क़ानून का बहाना: गैर-हिन्दुओं की खुशामद और हिन्दुओं पर निशाना

हिंदू धर्म में, धर्म जीवन शैली की एक शाखा है, जबकि इस्लाम में, जीवन शैली धर्म की एक शाखा है। इस भेद के कारण, एक तो परिवर्तन और सुधार का स्वागत करता है, जबकि दूसरे में, सुधार करना तो दूर, यहाँ तक कि उनके पवित्र छंदों और धर्मादेशों में विराम चिह्न बदलने का भी स्पष्ट रूप से निषेध है। और, यही वह द्वंद्व है जो हमारे राज्य को त्रस्त करता है। हम एक धर्म और उसकी प्रथाओं को सुधारने का प्रयास करेंगे लेकिन दूसरे को सुधारने से पीछे हटेंगे। हम एक से असहिष्णुता की बेड़ियाँ तोड़कर फेंक देंगे, लेकिन दूसरे के लिए उसकी झंकार कर गर्व की अनुभूति करेंगे। हम एक में विधानों,संहिताओं,बिल,कानूनों और आईपीसी धाराओं के माध्यम से सुधार को संवैधानिक रूप देंगे, लेकिन दूसरे के लिए वैसे ही क़ानून लाने से न केवल दूर रहेंगे बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को भी पलट देंगे जिनका लक्ष्य सीमित सुधार लाना है।

उदाहरण के लिए, द्विविवाह भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित है, विशेष रूप से आईपीसी की धारा 494 के तहत, और सात साल की जेल की सजा का प्रावधान है,[105] लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ

(शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937[106] की धारा 2 के तहत इसकी अनुमति है। यह सुझाव देने के लिए नहीं है कि हिंदुओं को भी द्विविवाह की अनुमति दी जानी चाहिए, बल्कि, इसका मकसद मुसलमानों के मामले में दोहरे मानकों को उजागर करना है।

साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक (न्याय एवं प्रतिपूर्ति प्राप्ति), 2011[107] या तथाकथित सांप्रदायिक हिंसा विधेयक, जिसका प्रारूप सोनिया गाँधी द्वारा गठित एवं अनुश्रुत एन.ए.सी. द्वारा तैयार किया गया, एक और महत्वपूर्ण मामला है। सौभाग्यवश, ये अमल में नहीं आ सका। अगर आ गया होता तो बहुसंख्यक हिन्दू समाज के विरुद्ध भेदभाव का एक और हथियार बन गया होता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संशोधित प्रारूप में 'सांप्रदायिक हिंसा में निशाना बने समूह' की परिभाषा बदल दी गयी। अब इसका अर्थ धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हो गया। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह था कि केवल अल्पसंख्यक और एससी/एसटी ही पीड़ित हो सकते हैं, जबकि सांप्रदायिक हिंसा के अपराधी हमेशा बहुसंख्यक अर्थात् हिन्दू होते हैं। जब एससी/एसटी को हिंदू आबादी से घटा दिया गया था तब लोगों को एहसास हुआ कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने पर भी अपराधी के रूप में चिह्नित किया जाएगा; उदाहरण के लिए कश्मीर, पंजाब या केरल में। इस परिभाषा का अपमानजनक रूप से उपयोग यौन उत्पीड़न के मामलों में भी किया जाना था। जब इस हास्यास्पद विधेयक का मसौदा तैयार करने वाले एन.ए.सी सदस्यों में से एक हर्ष मंदर से इस तरह की घोर हिंदू विरोधी भावनाओं का कारण पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा: 'अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक संस्थागत पूर्वाग्रह है जिसे ठीक करने की जरूरत है। सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ रही है। इस संस्थागत पूर्वाग्रह को ठीक करने के लिए ही हमें इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी।[108]

किसी को श्री मंदर को सूचित करना चाहिए कि अगर हालिया स्मृति में संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली किसी समुदाय के खिलाफ रही है, तो वह कश्मीरी हिन्दू है जो 30 साल बाद भी तथाकथित अल्पसंख्यक मुसलमानों द्वारा उनके समुदाय के खिलाफ किए गए बलात्कार, हत्या, जातीय संहार और सामूहिक नरसंहार के लिए न्याय माँग रहे हैं। लेकिन इस विधेयक के अनुसार ये अपराध हो ही नहीं सकते थे क्योंकि अल्पसंख्यक इन्हें कर ही नहीं सकते थे। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी अत्याचार के इन मामलों को खोलने से इनकार कर देता है।

सच तो यह है कि राज्य को इस हद तक ब्लैकमेल किया और धमकाया गया है कि तथाकथित उदारवादी, प्रगतिशील और कर्तव्यनिष्ठ नारीवादी करवाचौथ पर तो हंगामा करते हैं, लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं को समान विरासत अधिकार[109] देने की बात आती है, तो वे अपनी पसंदीदा पार्थसारथी शिला के पीछे छिप जाते हैं। ये नारीवादी, इस तथ्य के अलावा कुछ भी बात करेंगे कि हमारे देश में अदालतों ने भी मुसलमानों को वयःसंधि प्राप्त करने के उपरान्त विवाह करने की अनुमति की पुष्टि करना शुरू कर दिया है, जो हमारे सबसे पवित्र कानूनों में से एक अर्थात् बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है। और उच्च न्यायालय के जिस न्यायाधीश ने एक वयःसंधि प्राप्त मुस्लिम लड़की की शादी को मंजूरी दी थी, वे अब सर्वोच्च न्यायालय में हैं।[110] जिन जजों ने दर्जी कन्हैया लाल का सिर काटने के लिए नूपुर शर्मा को दोषी ठहराया, उनमें एक वे भी थे। वे दावा करेंगे कि तीन तलाक पर रोक लगाना निजता का हनन[111] और किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है।[112] वे ओवेसी या उनकी पार्टी की आलोचना नहीं करेगें जो 'कुष्ठ रोग के आधार पर तलाक़'[113], को हटाए जाने का पुरजोर विरोध करते है, क्योकि AIMPLB का मानना है कि कुष्ठ रोग तलाक का पर्याप्त आधार है। हालाँकि यह रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है। वे शाहबानो का

साथ नहीं देंगे। वे 'एक भारत एक कानून' की वकालत करने वाले किसी भी व्यक्ति को गाली देंगे। वे महबूबा मुफ्ती की भी सराहना करेंगे जिन्होंने हाल ही में कश्मीर में सजा के तौर पर पत्थरबाजी शुरू करने का आह्वान किया था।[114] हम इस प्रकार के आमने-सामने के राज्य-स्वीकृत पाखण्ड से निपट रहे हैं। हिंदुत्व और हिन्दू के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। उन्होंने कभी किया भी क्या? सदियों से, जिन्होंने भारत पर शासन किया है, उन्होंने केवल हिंदू धर्म में सुधार लाने की मांग की है। अंग्रेजों ने विशेष रूप से केवल हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए 1941[115] में बी.एन. राव समिति गठित की। इस समिति की रिपोर्ट ने 1951 के हिंदू कोड बिल के लिए खाका तैयार किया। 1956[116] में विधेयक को अंगीकृत किया गया और यह, प्रशंसनीय रूप से, हिंदू महिलाओं को अत्यंत आवश्यक अधिकार देता है, जबकि साथ ही, प्रभावित पक्षों को कई नागरिक मामलों - उत्तराधिकार से लेकर विवाह तक, संपत्ति के अधिकार से लेकर संरक्षण, गोद लेने और जीवन-निर्वाह तक - पर समानता प्रदान करता है। कोई भी सुधार अच्छा है। यह दर्शाता है कि अनुकूल उत्परिवर्तन हो रहे हैं, जीवन से भरा साँस लेता जीव बदलते समय के साथ तालमेल बिठा रहा है, विकसित हो रहा है, और क्योंकि वह विकसित हो रहा है, वह जीवित रहेगा। लेकिन केवल हिंदुओं और हिंदू धर्म में ही सुधार क्यों होना चाहिए? ईसाइयों और ईसाइयत के बारे में क्या? मुसलमान और इस्लाम?

एक धर्म और एक जीवन पद्धति के रूप में डॉ. अंबेडकर की हिंदू धर्म की आलोचना से हर कोई परिचित है। वामपंथी इसे किताबों, बहसों और वृत्तचित्रों, यहां तक कि संसद में भी उजागर करने का कोई मौका नहीं चूकते। लेकिन जब इस्लाम की उनकी आलोचना को सामने रखने की बात आती है तो वे चुप रहते हैं। दरअसल, डॉ. अंबेडकर हिंदू धर्म की चयनात्मक आलोचना से इतने भयभीत थे कि उन्होंने लिखा: 'हिंदू समाज की पहचान बन चुकी सामाजिक

बुराइयाँ सर्वविदित हैं। लेकिन, ऐसी बुराइयों का पर्दाफाश करने वाली किताबों के लेखकों को जब दुनिया कटघरे में खड़ा कर उन पापों पर उनके जवाब तलब करती है, तो दुर्भाग्यवश दुनिया भर में ऐसी धारणा बनती है कि हिन्दू सामाजिक बुराइयों के कीचड़ में धँसा हुआ है और रूढ़िवादी है जबकि भारत का मुसलमान इन बुराइयों से मुक्त है और हिन्दू की तुलना में प्रगतिशील विचारों वाला है। भारत में मुस्लिम समाज को करीब से जानने वालों के लिए ऐसी धारणा का बनना आश्चर्यजनक है। जाति व्यवस्था को ही लीजिए। इस्लाम भाईचारे की बात करता है। हर कोई यह निष्कर्ष निकालता है कि इस्लाम को जाति से मुक्त होना चाहिए, पर ये स्थिति नहीं है। मुसलमानों में जाति बनी हुई है। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि भारत में मुस्लिम समाज उन्हीं सामाजिक बुराइयों से पीड़ित है, जिनसे हिंदू समाज पीड़ित है। सचमुच, मुसलमानों में हिंदुओं की सारी सामाजिक बुराइयाँ हैं बल्कि उससे भी कुछ अधिक। मसलन, मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्दे की अनिवार्य व्यवस्था।'[117]

1975 में, पाँच बच्चों की 62 वर्षीया माँ, शाहबानो बेगम को उनके घर से बाहर निकालकर इंदौर की सड़कों पर फेंक दिया गया था। मोहम्मद अहमद खान से उनकी शादी को 43 साल हो गए थे, जो 5,000 प्रति माह कमाते थे। उन दिनों 5000 रूपए महीना-एक शाही आमदनी थी। तीन वर्षों बाद, बेसहारा और अपने सिर पर छत के बिना, शाहबानो ने निचली अदालतों में जाकर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (1) (ए) के तहत 500 प्रति माह के गुजारा भत्ते की मांग की। इसके बदले उसे जो मिला वह तलाक था। अपने बचाव में, उसके पति ने अदालत को बताया कि उसने पहले ही इद्दत के दौरान मेहर या दहेज के रूप में 3,000 रुपये प्रदान कर दिए थे, एक तलाकशुदा महिला को पुनर्विवाह करने से पहले प्रतीक्षा की अवधि का पालन करना पड़ता है। अदालत ने पत्नी का पक्ष

लिया और पति को प्रति माह 25 रुपये की गुजारा भत्ता राशि का भुगतान करने को कहा। पति ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मिले अधिकारों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। मामला हाई कोर्ट में गया। इस बार, पति को धारा 125 के तहत प्रति माह 179.20 रुपए की जीवन-निर्वाह राशि के भुगतान करने का निर्देश दिया गया। पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

एक ऐतिहासिक फैसले में,[118] सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान की अपील खारिज कर दी और उसे उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। अदालत ने पूछा कि 'क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ पति पर अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण-पोषण के लिए कोई दायित्व नहीं डालता?' निःसंदेह, पति को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह अपनी पत्नी को जब भी चाहे, अच्छे, बुरे या सामान्य कारणों से त्यागने में सक्षम हो। वस्तुतः बिना किसी कारण के। यह गहरे अफसोस की बात है कि पति का समर्थन करने वाले कुछ मध्यस्थता करने वालों ने, जो खुद अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार को खत्म करने के लिए अनुचित उत्साह प्रदर्शित करते हुए एक चरम स्थिति अपना ली।"

यह स्पष्ट नहीं है कि तत्कालीन फैसले के अंतिम शब्द न्यायपीठ में से किसने लिखे थे। स्पष्ट है कि वे जो भी थे, प्रशंसा के पात्र हैं। 'यह भी अफसोस की बात है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत दस्तावेज बनकर रह गया है। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ऐसा लगता है कि यह धारणा मजबूत हो गई है कि मुस्लिम समुदाय को अपने पर्सनल लॉ में सुधार के मामले में नेतृत्व करना होगा। एक समान नागरिक संहिता, परस्पर विरोधी विचारधाराओं को अपने-अपने कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी। इस मुद्दे पर अनावश्यक

रियायतें देकर कोई भी समुदाय बिल्ली के गले में घंटी बाँधना नहीं चाहता। राज्य पर ही देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का कर्तव्य है और निस्संदेह, उसके पास ऐसा करने की विधायी क्षमता है। मामले में एक वकील ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि विधायी क्षमता एक बात है, उस क्षमता का उपयोग करने का राजनीतिक साहस बिल्कुल अलग बात है। हम विभिन्न आस्थाओं और मतों के लोगों को एक मंच पर लाने में आने वाली कठिनाइयों को समझते हैं, लेकिन अगर संविधान को प्रासंगिक बनाए रखना है तो शुरुआत करनी होगी। अनिवार्य रूप से, सुधारक की भूमिका अदालतों को निभानी होगी क्योंकि इतना स्पष्ट अन्याय होने पर उसे भोगने देने का धैर्य संवेदनशील दिमागों की सहनशक्ति से परे है, जबकि यह इतना स्पष्ट है।[119]

इन शब्दों को बोलने में बमुश्किल एक मिनट लगता है-इन्हें लिखने में शायद थोड़ा अधिक समय लगता है। लेकिन उन पर विचार करने के लिए दशकों की शिक्षा और विद्वता और एक हद तक वस्तुनिष्ठता जो तटस्थ रहकर देखने की माँग करता है। और जब यह सब शून्य हो जाता है तो आप जानते हैं कि आप असफल हो गए हैं। अंत में न्यायालय ने कहा 'धारा 125 की प्रकृति सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष है। चाहे पति-पत्नी हिंदू हों या मुस्लिम, ईसाई हों या पारसी, बुतपरस्त हों, इन प्रावधानों के लागू होने में पूरी तरह से अप्रासंगिक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उपेक्षित पत्नी, बच्चे या माता-पिता किस धर्म को मानते हैं।'

यही एक बड़ी गलती थी जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने की। धर्मनिरपेक्ष कौन है या क्या है, इसका निर्णय देश के सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान पुरुषों और महिलाओं द्वारा नहीं किया जाना है। इसके बजाय, यह राजनेताओं का एकमात्र विशेषाधिकार है। यह फैसला सुनाने का पवित्र अधिकार केवल उन्हीं के पास है।' ठीक एक साल बाद, उन्होंने यही किया। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और

कुप्रबंधन के मुद्दों से घिरी राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए एक अच्छा रास्ता चुना और मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986[120] पारित किया। एक ही झटके में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलट गया। 1986 के अधिनियम की शब्दावली नागरिकों को कुछ ऐसा बताती है जिसके बारे में राजनेताओं ने सोचा था कि इसे नजरअंदाज कर दिया गया है, शायद इसकी उपेक्षा कर दी गई है-"कौन किस पर शासन करता है"। 'धारा 125 के तहत एक तलाकशुदा महिला द्वारा दाखिल मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित प्रत्येक आवेदन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।" अब से, पति को केवल इद्दत अवधि के दौरान पूर्व पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करना था। इद्दत से परे का दायित्व पति पर नहीं, बल्कि उन रिश्तेदारों पर था, जो पूर्व पत्नी की मृत्यु पर उसकी संपत्ति प्राप्त करेंगे, ऐसा न करने पर, वक्फ बोर्ड को जिम्मेदारी लेनी थी। शाहबानो फिर से सड़कों पर थीं और भारत फिर से धर्मनिरपेक्ष हो गया था।

6

हिन्दू धर्म में सुधार की न्यायालय की विशेष दृष्टि

न्यायपालिका जो लगभग विशेष रूप से हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास करती है जुलाई 2022, सुप्रीम कोर्ट केवल प्रतिष्ठित इस्लामिक ग्रंथ साहिह अल-बुखारी 5134 पुस्तिका 67, हदीस 70,[121] और सुन्नन अन-नासाई 3378; वॉल्यूम 4, पुस्तिका 26, हदीस 3380,[122] से ली गई बातों को उद्धृत करने के लिए नूपुर शर्मा के खिलाफ कई एफआईआर की साझा सुनवाई की याचिका पर विचार करने जा रहा है; अदालत इसे वहीं छोड़ते हुए मामले को खारिज कर सकती थी और न्यायाधीशगण दोपहर के भोजन के लिए निकल पड़ते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।[123] न्यायाधीशों की समीक्षा करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं का कथन उद्धृत कर रहा हूँ और फिर यह निर्णय आप पर छोड़ता हूँ कि क्या एक असहाय, पीड़िता, परित्यक्ता, शिकार बनाई गई युवा हिंदू महिला के खिलाफ उनकी टिप्पणियाँ हिंदुओं के खिलाफ दशकों के संस्थागत अपमान, उपहास और भेदभाव से प्रेरित नहीं थीं? चीज़ें कभी-कभार हुई हों ऐसा नहीं है ; वे मौजूदा निर्माण पर ईंट दर ईंट रखकर निर्माण करते हैं।

"आपने पूरे देश को आग लगा दी है। आपके पास विवेकाधीन राहत माँगने के लिए अदालत में आने का साहस है"- न्यायाधीशों ने

चिल्लाकर कहा। "देश में आगजनी के लिए आप अकेले जिम्मेदार हैं। आपका बयान उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के लिए जिम्मेदार हैं [जहां नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए कैमरे पर हिंदू दर्जी का सिर काट दिया गया था]। क्या आप सुरक्षा के खतरे का सामना कर रहे हैं, या आप देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? आपकी जुबान बेलगाम है और आप गैर-जिम्मेदाराना बयान देती रहती हैं। आपको सस्ते प्रचार वाले राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई अपनी टिप्पणियों के लिए पूरे देश से माफी माँगनी चाहिए। आपकी याचिका आपके अड़ियल चरित्र और आपके अहंकार को दर्शाती है। आपको लगता है कि मजिस्ट्रेट अदालतें आपके लिए बहुत छोटी हैं। कभी-कभी सत्ता आपके सिर पर चढ़ जाती है और लोग सोचते हैं कि उनके पास बैकअप है और वे किसी भी तरह का बयान दे सकते हैं और आज़ाद रह सकते हैं। आप एक चैनल पर गईं और बिना इसके दुष्परिणामों और गंभीर प्रभावों का सोचे-समझे कि यह समाज के ताने-बाने को कितनी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करेगा, गैर-जिम्मेदाराना बयान दे दिया।

विधायिका हिन्दुओं से भेदभाव करती है, यह समाचार नहीं है- मैंने पर्याप्त उदाहरण दिए हैं। बहुसंख्यकों की कीमत पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के बहुत सारे मामले मौजूद हैं, लेकिन जब न्यायपालिका हिंदुओं को अलग कर दे तो क्या किया जाना चाहिए? फिर क्या सहारा है? जब आप पाते हैं कि न्याय के हमारे मंदिरों के शीर्ष पर खड़ी वह सुंदर महिला लड़ाकू है, जब आप पाते हैं कि आसमान की ओर इशारा करने वाली उसकी तलवार कुंद हो गई है और उसकी आंखों पर बंधी पट्टी फट गई है, जब आप पाते हैं कि उसकी तराजू में जंग लग गई है तो और सहारा क्या है? कुछ भी नहीं है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट इस्लाम से भेदभाव हटाने का फैसला करता है, वहीं संसद उसे ऐसा करने से रोक देती है। जब वह हिंदू धर्म से कथित भेदभाव को दूर करने का निर्णय लेती है, तो संसद द्वारा उसे ऐसा

करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मैं यहां सुप्रीम कोर्ट के 2018 के कुख्यात सबरीमाला फैसले के बारे में बात कर रहा हूँ जो मंदिर और इसकी सदियों पुरानी परंपरा के खिलाफ था जो स्वयं ब्रह्मचारी देवता द्वारा इसके रखवालों के लिए तय की गई थी। मूल सबरीमाला फैसले में असहमत न्यायाधीश का वह महान बयान याद कीजिए: 'धर्म के मामलों में तर्कसंगति की धारणाओं को लागू नहीं किया जा सकता है।[124] सच्चे शब्द कभी नहीं बोले गए। क्या यह सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वह अरबों आस्थावान लोगों को सलाह दे और सूचित करे कि पवित्र गंगा भगवान शिव की जटाओं से नहीं निकल सकती थी, या पैगंबर मोहम्मद पंख वाले घोड़े पर स्वर्ग की यात्रा नहीं कर सकते थे, या कि यीशु मसीह पानी पर नहीं चल सकते थे या वे पानी को शराब में नहीं बदल सकते थे? हाँ, दमनकारी और हानिकारक धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने और उन्हें रोकने में अदालतों की भूमिका होती है, लेकिन फिर, जो बात आपके या मेरे लिए हानिकारक है, वह आस्तिक के लिए हानिकारक नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए, मेरा मानना है कि ड्रेस कोड निर्धारित करना दमनकारी है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर प्रतिबंध लगा सकता है? यदि ऐसा होता है, तो यह अल्लाह की प्रत्यक्ष आज्ञाओं का उल्लंघन होगा जैसा कि पवित्र क़ुरान (24:31; 33:59: 7:26) में बताया गया है। क्या यह मुसलमानों के साथ-साथ उन सभी उदारवादियों और नारीवादियों को भी स्वीकार्य होगा जिन्होंने भेदभाव को वीटो करने वाले सबरीमाला फैसले पर खुशी जताई थी? यह भेदभाव था या कथित भेदभाव? आखिरकार, ऐसे कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पुरुषों को प्रवेश नहीं दिया जाता है[125] जैसे कि कामाख्या मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, कुमारी अम्मन मंदिर, अट्टुकल भगवती मंदिर और माता मंदिर और कई हिंदू मंदिर हैं, जिनमें भगवान अयप्पा के भी कई मंदिर हैं, जहाँ मासिक धर्म वाली महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है।[126] केवल भगवान अयप्पा के

इस मंदिर में, देवता की ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा के कारण, एक विशेष आयु वर्ग की मासिक धर्म वाली महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। जहां तक मासिक धर्म वाली महिलाओं की बात है, तो उनके लिए कुरान को छूना, पूरी आयत पढ़ना, मस्जिद में प्रवेश करना, नमाज पढ़ना, सलत करना, तवाफ़ करना, उपवास करना या यौन संबंध बनाना स्पष्ट रूप से मना है (56:79, 2:222, तुमीधि 318 और हदीस-ए शरीफ) . तो, क्या अब हम इन छंदों को संशोधित करने जा रहे हैं? हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 (सम्मान और स्वतंत्रता का अधिकार) और 25 [किसी धर्म का पालन करने का अधिकार] के बीच एक बुनियादी विरोधाभास मौजूद है। एक व्यक्ति एक का पालन करता है या उसका सम्मान करता है, दूसरे का पालन करना या उसका सम्मान करना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां दसों हज़ार धर्मादेश, निदेश अथवा आदेश हैं जो सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 का खंडन करते हैं। यदि आप एक सच्ची कैथोलिक महिला हैं तो भी आपको पुजारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यदि आप एक सच्ची मुस्लिम महिला हैं, तो आप नृत्य नहीं कर सकतीं, खेल नहीं खेल सकतीं, शराब नहीं पी सकतीं, व्यभिचार नहीं कर सकतीं, समलैंगिक नहीं हो सकतीं, जो चाहें नहीं पहन सकती हैं या धर्मत्यागी नहीं हो सकतीं। एक प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष राज्य सही मायने में, हिंदू धर्म से भेदभावपूर्ण प्रथाओं को हटाता है, लेकिन जब अन्य धर्मों से भेदभावपूर्ण प्रथाओं को हटाने की बात आती है तो वह भीगी बिल्ली की तरह लैंपपोस्ट के पीछे छिप जाता है। ये न तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है और न ही प्रगतिशील है, यह एक डरा हुआ राज्य है। सच तो यह है कि किसी को अनुच्छेद 25 को खत्म करने और अनुच्छेद 21 का समर्थन करने के लिए नास्तिक होना होगा। एक डार्विनियन नास्तिक होने के नाते, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या आप हैं, क्या न्यायाधीश हैं, क्या राजनेता हैं, क्या मेरे लाखों देशवासी और महिलाएँ हैं? यह

सवाल है। जब तक आप इसका उत्तर देते हैं तब तक हम दूसरे धर्मों को किनारे रखकर केवल हिन्दू धर्म में क्यों इधर का उधर करें, पुनर्गठन के बारे में सोचें और केवल हिंदू धर्म के लिए क़ानून और निर्णय क्यों लाएँ?

2019 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, भले ही हिंदुओं ने तर्क दिया कि यह प्रथा 10 महाविद्याओं, अर्थात् काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की पूजा करने की सदियों पुरानी तांत्रिक परंपरा थी। हिंदुओं ने जो दलील दी, वह 1954 के प्रसिद्ध शिरूर मठ फैसले को[127] ध्यान में रखते हुए भी थी, जिसने एक आवश्यक धार्मिक प्रथा की पवित्रता स्थापित की थी। लेकिन न्यायाधीशों ने इसकी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने गरजते हुए कहा, 'राज्य सहित किसी भी व्यक्ति को त्रिपुरा राज्य के भीतर किसी भी मंदिर के परिसर में किसी भी जानवर या पक्षी की बलि देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।[128] 2014 में हिमाचल उच्च न्यायालय ने कुल्लू दशहरा के दौरान पशु बलि की 600 वर्ष पुरानी परंपरा पर रोक लगा दी।[129] 2017 में, अर्ध-न्यायिक एनजीटी ने अमरनाथ में भक्तों द्वारा घंटियाँ बजाने और श्लोकों के उच्चारण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।[130] ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि साथ-साथ वहाँ लाउडस्पीकर के माध्यम से अजान देने की अनुमति नहीं दी। या शायद, उन्होंने वास्तव में ऐसा किया था और राज्य की अनियमितताओं के कारण आदेश अभी तक भोलेनाथ के दरबार तक नहीं पहुंचा है। सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि केवल धार्मिक हिंदू को ही पशुबलि देने से क्यों रोका जाना चाहिए? यदि राज्य पशु बलि के ख़िलाफ़ है, तो प्रशंसनीय है, किन्तु क्या उसे धर्म के नाम पर की जाने वाली सभी पशु बलियों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या ऐसा है? यदि माननीय न्यायालय किसी धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से किसी जानवर की जान लेने पर आपत्ति करते हैं, तो क्या उनमें हलाल पर

प्रतिबंध लगाने की हिम्मत है? हर दिन, एक अरब से अधिक मुसलमान इस धार्मिक अनुष्ठान के बाद मांस खाते हैं। वस्तुतः यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। धाबिहा अर्थात् बलि का निर्धारित अनुष्ठान अवश्य किया जाना चाहिए। चीरा सटीक और गहरा होना चाहिए जो कैरोटिड धमनी और श्वासनली को काट दे। खून को पूरी तरह से बहा देना चाहिए, और इस पूरी अवधि में जानवर जीवित रहता है। जानवर का सिर काबा की तरफ होना चाहिए। और बिस्मिल्लाह-ए-रहमान-ए-रहीम कहना जरूरी है। इसके अलावा, केवल एक मुस्लिम ही इस प्रकार का वध कर सकता है। तो क्या माननीय न्यायाधीशों के अनुसार यह कोई अनुष्ठान नहीं है? वास्तव में इस अनुष्ठानिक प्रथा को कई यूरोपीय देशों में इतना क्रूर माना गया है कि हलाल करने से पहले जानवर को बेहोश करना अनिवार्य है।[131] लेकिन क्या हमारे न्यायाधीशों में पशु अधिकारों के मामले में चयनात्मकता से दूर रहने का साहस है?

हिंदू त्योहार और उत्सव और खेल आयोजन आसान लक्ष्य हैं, चाहे वह जल्लीकट्टू या कंबाला या नागपंचमी हो, या यहाँ तक कि मकर संक्रांति के दौरान पतंग उड़ाना हो, या विश्वास करें या न करें, जन्माष्टमी त्योहार के दौरान दही हांडी की ऊंचाई तक को सीमित करना। न्यायाधीशों ने मानव पिरामिड की ऊंचाई बीस फीट तक सीमित कर दी है, यह कहते हुए कि इससे ऊपर की कोई भी चीज़ उत्सव में भाग लेने वाले मनुष्यों को नुकसान पहुंचाएगी। 'हम केवल कृष्ण द्वारा माखन चुराने के बारे में जानते हैं; क्या इसे चुराते समय उन्होंने कलाबाजी भी की थी?' जजों ने धर्म का मजाक उड़ाया।[132] मैं न्यायाधीशों से पूछना चाहता हूं कि जब मोहर्रम की बात आती है तो उनके सभी उपहास और रंगीन जवाबों का क्या होता है, जहाँ 'या अब्बास, या अब्बास' के नारों के बीच शरीर में गहराई तक वार करने वाले स्टील के पंजे वाले कोड़ों से हजारों मुसलमान खुले तौर पर खुद को और दूसरों को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं? क्या इससे

कोई नुकसान नहीं होता? लेकिन हमारे राज्य या इसकी संस्थाओं में मोहर्रम की इस रस्म पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत है?

दीवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने, लेकिन उसी महीने के दौरान लाखों टन पराली जलाने, या क्रिसमस के दौरान लाखों पेड़ों को काटने, या नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी की अनुमति देने के मामले में भी ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर है, केवल दीवाली ही कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रही है और प्रदूषण में योगदान दे रही है और बाकी पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं। और जो लोग हर साल दिल्ली की स्थिति के लिए दीवाली को दोषी मानते हैं, उनके लिए यहाँ कुछ अन्य परिप्रेक्ष्य हैं: दिल्ली के ठीक बगल में, 17,900 वर्ग किमी का क्षेत्र, या दिल्ली के आकार का 12 गुना, लगातार, कई हफ्तों से जल रहा है। न्यायाधीशों की नाक के ठीक नीचे पैंतीस करोड़ टन पराली जलाई जाती है।[133]

ईमानदारी से कहूँ तो मैं अब आश्वस्त हूं कि पराली जलाने पर केवल तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब हम इसे पराली दहन जो एक हिंदू त्योहार है जिसमें अथर्वा के अनुसार भगवान विष्णु ने राक्षस राजा परालीसार को जला दिया था, जब उन्होंने मरुत और तूफान के राजा रुद्र को गुलाम बना लिया था, कहना शुरू कर दें, तभी इस पर रोक लगेगी। पराली जलाने से 149 मिलियन ईओन कार्बन-डाइऑक्साइड[134] निकलता है, जो कि समस्त भारतीय परिवहन द्वारा कार्बन-डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 55 प्रतिशत है।[135] इससे होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियों के इलाज का वित्तीय बोझ अकेले पराली निस्तारण के लिए आवश्यक मशीनों की लागत से 154 गुना अधिक है।[136] लेकिन अगर हमारे राजनेता और न्यायाधीश ऐसा सोचते, तो हम एक विकसित राष्ट्र होते।

और जब हमारी अदालतें हिंदुओं और उनके रीति-रिवाजों के प्रति वैसे ही काम कर रही हैं जैसे वे करती रही हैं। तो क्या राज्य बहुत पीछे रह सकता है? धर्मपुरम अधीनम की पट्टिना प्रवेशम, पुजारी को

ले जाने की प्राचीन हिंदू रस्म, अब प्रतिबंधित कर दी गई है,[137]और वह भी जबरन श्रम की धाराएँ लागू करके। आप मुझे यह बताना चाहते हैं कि भक्तों को उस पुजारी को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसका वे आदर करते हैं? आगे क्या? मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होगा? जल्द ही एक समय आएगा जब राज्य जबरन श्रम के बहाने भगवान जगन्नाथ को खींचने पर प्रतिबंध लगा देगा।

लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब राज्य ईसाई पादरी को ले जाने की परंपरा, सेडिया गेस्टेटोरिया पर प्रतिबंध लगाएगा। क्या कभी ऐसा समय आएगा जब राज्य, मोहर्रम के दौरान दर्जनों थके-थके कंधों पर जो भारी ताजिया फहराया जाता है, प्रतिबंध लगा देगा ? ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब राज्य ईस्टर परेड पर भारी लकड़ी का क्रॉस ले जाने की परंपरा पर प्रतिबंध लगाएगा। ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब राज्य पुरुष जननांग खतना पर प्रतिबंध लगाएगा, जो एक धर्म-निर्धारित क्रूरता का कार्य है और कई यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित है।[138]

केवल हिंदू त्योहारों और धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ यह चयनवाद जल्द ही एक ऐसे परिदृश्य में परिणत होगा जहां हिंदू अपनी परंपराओं को नापसंद करने लगेंगे। वहां से, आत्म-घृणा का मार्ग केवल कुछ गज की दूरी पर है, और हम जानते हैं कि वह मार्ग कहाँ जाता है - हिंदू धर्म को त्यागना और दूसरे धर्म को स्वीकार करना। अगर आप इसे संकेत मानें तो अदालतों ने हाल ही में राय दी है कि मंदिरों द्वारा गैर-हिंदुओं को मंदिर परिसर में अपनी दुकानें स्थापित करने से नहीं रोका जा सकता है।[139] पीठ ने कहा, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। सीधे सीधे बात करते हैं। एक व्यक्ति जिसका धर्म उसे हिंदू से पूरी तरह नफरत करने का आदेश देता है, उसे इस काफिर को धर्म परिवर्तन करने का आदेश देता है, और यदि वह नहीं कर सकता है तो मौका पाकर उसे मार डालने को कहता है;

एक आदमी जिसका धर्म उसे बताता है कि अल्लाह के अलावा किसी को पूजे जाने का अधिकार नहीं है 40:62; कि जो लोग कुरान से इनकार करेंगे उनकी गर्दनों पर बेड़ियाँ डाल दी जाएंगी 40:70; कि बहुदेववादी या हिंदू सबसे बुरे प्राणी हैं 98:6: जो लोग अल्लाह में विश्वास नहीं करते और जो इस्लाम नहीं अपनाते उनके खिलाफ लड़ते हैं, उनसे तब तक लड़ो जब तक कि वे दीन होकर जजिया न दे दें 9:29; वे बहुदेववादी स्त्रियों से विवाह न करें जब तक कि वे इस्लाम में विश्वास न करें 2:221: कि जो लोग हमारी आयतों में विश्वास नहीं करेंगे हम उन्हें आग में झोंक देंगे 4:56; अविश्वासियों को तब तक मित्र न बनाएं जब तक वे धर्म परिवर्तन न कर लें और यदि वे इनकार करते हैं तो उन्हें मार डालें 4:89- अदालत ने हिंदू मंदिर को आदेश दिया कि वह इस व्यक्ति को दुकान खोलने के लिए मंदिर की अपनी जमीन दे। हिन्दू हितों का अतिक्रमण हो गया है, इसका इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है?

इसे कहने का कोई और तरीका नहीं है: ऊँट ने तंबू में घुसना शुरू कर दिया है। खुला आसमान इंतज़ार कर रहा है।

7

जश्न लाखों हिन्दुओं के खून और धर्मपरिवर्तन करने वालों का

ज्ञान के प्राचीन केंद्र और संभवतः भारत की महानतम सांस्कृतिक विरासत, नालंदा की यात्रा के लिए आपको दिल्ली से ट्रेन पकड़नी होगी और पटना से 50 मील दूर बख्तियारपुर नामक स्थान पर उतरना होगा। बख्तियारपुर से, यह नालंदा की एक संक्षिप्त और सुखद यात्रा है, और जब आप इस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, जब आप इसके मैनीक्योर किए गए लॉन और पतली ईंटों से बने अग्रभाग और खंडहरों के चारों ओर घूमते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान और मेधा का यह शानदार मंदिर एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में कैसे नष्ट हुआ; कैसे हजारों विद्वानों का ज्ञान महीनों तक जलने वाली आग में जलकर नष्ट हो गया, कैसे लाखों किताबें राख में बदल गईं; कैसे एक सभ्यता को हमने, जिससे दुनिया ईर्ष्या करती थी और विश्वगुरु के रूप में उसकी प्रशंसा करती थी, हमेशा के लिए खो दिया; और, इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाला वह बर्बर व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बख्तियार था। हाँ। बख्तियार; और हमने उसके सम्मान में न केवल एक रेलवे स्टेशन, बल्कि एक शहर का नाम भी रखा है।[140] हमारा विनाश जिसे बख्तियार भी अपने जीवनकाल में नहीं पूरा कर सका, अब पूरा हो गया है।

1,000 साल बाद, हमने इस बर्बर व्यक्ति का सम्मान किया है, जो बहुत दुखद नहीं है; सबसे अधिक दुख देने वाली बात यह है कि चूँकि हम इस घृणित आत्म-ध्वजारोपण से इतने असंतुष्ट और अतृप्त हैं, इसलिए हमने विकृत इतिहास की कालकोठरी में एक कदम और नीचे उतरने का प्रयास किया है और यह कथा फैलाई है कि बख्तियार ने तो नालंदा को नष्ट नहीं किया या आग भी नहीं लगाई थी। इसके बजाय, हमने नालंदा के महान शहर को जलाने के लिए कुछ हिंदू भिक्षुकों को दोषी ठहराया है।[141] यह सही है - एक आक्रमणकारी और उसकी हजारों की सेना नहीं, बल्कि, दो भड़कीले छोटे हिंदू भिखारी वहाँ कभी मौजूद रहे सबसे महान प्राचीन विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार थे।

मुझे आपको वामपंथी इतिहासकार डी.एन. झा के दिमाग की कल्पनाओं और उसके बारे में विस्तार से बताने की इच्छा नहीं है: तथ्य यह है कि उन्होंने अपने दावे के लिए कभी भी किसी प्रथम स्रोत का हवाला नहीं दिया; तथ्य यह है कि झा के स्रोत पैग सैम जॉन ज़ैंग[142] का पहला अंग्रेजी अनुवाद 100 साल पहले किया गया था; तथ्य यह है कि इसमें कभी भी दो हिंदू भिखारियों का उल्लेख नहीं किया गया है - लेकिन तथ्य यह भी है कि झा ने इस कथा युद्ध में जीत हासिल की है। बख्तियार जिंदा है!

'इस्लाम के लिए मैं एक बंजारा बन गया, मैंने काफिरों और हिन्दुओं से युद्ध किया, शहीद होने का निश्चय कर चुका था; अल्लाह का शुक्र है कि मैं गाज़ी बन गया!"[143] - यह बाबर का सीधा उद्धरण है, बाबरनामा से। सेंट्रल दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास से बमुश्किल एक मील की दूरी पर एक बाबर रोड है। बाबर जिंदा है!

हिंदू देवता और उनकी मूर्तियाँ देखने में जितनी गन्दी और भयानक हैं, उन मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट होते देखना उतना ही आनंद देने वाला है। जिस व्यक्ति ने यह कहा था, वह उस गोवा

जांच का भी प्रमुख प्रस्तावक था, जो हजारों हिंदुओं पर अत्याचार और उनकी हत्या और उनके धर्मांतरण की दिशा में गया।[144] उनका नाम सेंट फ्रांसिस जेवियर था। हर साल, लाखों भारतीय, जिनमें हमारे हिंदू राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, उनका सम्मान करते है। सेंट फ्रांसिस जेवियर जिंदा हैं!

सिकंदर शाह मिरी (1389-1413), जिन्होंने जामिया मस्जिद का निर्माण कराया था और जिनकी आज भी कश्मीर में प्रशंसा की जाती है, ने कश्मीरी हिंदुओं को जलाने से पहले उनसे 3 खिरवार, या 210 किलोग्राम पवित्र धागे एकत्र किए थे।[145] एक पवित्र धागे का वजन 7 ग्राम होता है। नरसंहार के व्यापक पैमाने की गणना करने का काम मैं आपके बीच के गणितज्ञों पर छोड़ दूँगा। सिकन्दर शाह मिरी जिंदा हैं!

'मैं आनासागर के इन हिंदू मंदिरों को जमींदोज कर दूंगा। मैं काफिरों के खिलाफ पवित्र युद्ध लड़ने के लिए भारत आया हूं।[146] ऐसा कहने वाले व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हनफ़ी सूफी संत थे, जिन्होंने राक्षस मुहम्मद गोरी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी और बिना किसी हिचकिचाहट के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया था। हर साल, हमारे हिंदू राष्ट्रवादी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित लाखों भारतीय उनकी मजार पर चादर चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती जिंदा हैं!

हम शिवाजी, राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान से ज्यादा मुगलों के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, उसका प्रचार-प्रसार पराजितों द्वारा किया जाता है और हमें परास्त कर दिया गया था। यह वह देश है जहाँ लोग अभी भी औरंगजेब की कब्र पर प्रार्थना करते हैं, जिसने गुरु तेग बहादुर का सिर काटा, संभाजी महाराज का सिर काटा, काशी विश्वनाथ को ध्वस्त किया और 46 लाख हिंदुओं की हत्या की।[147] यह वह देश है जहां गुरु अर्जन देव को एक गर्म थाली पर बैठने को मजबूर किया गया था और सचमुच वे मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा जिंदा पकाया दिए गए

और हम क्या करते हैं? हम अपनी फिल्मों में जहाँगीर को मिलनसार रोमांटिक सलीम के रूप में अमर कर देते हैं। यह वह देश है जहां प्रसिद्ध इतिहासकार रामचन्द्र गुहा नहीं चाहते थे कि दिल्ली की सड़कों का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाए - वह व्यक्ति जिसने पेशावर से प्लासी तक साम्राज्य स्थापित किया था - क्योंकि, गुहा के शब्दों में, वह एक 'अल्पज्ञात क्षेत्रीय व्यक्ति थे और' एक सामंती स्वामी जिसने जातिगत पदानुक्रमों का समर्थन किया'।[148] यह एक ऐसा देश है जहां हम आक्रमणकारियों की प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने कई शताब्दियों के मानव इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार किया और हममें से 80 मिलियन लोगों की हत्या कर दी, यह आंकड़ा इतिहासकार के.एस. लाल और विल ड्यूरेंट द्वारा आधिकारिक रूप से सामने आया है।[149] ये वो देश है जहां करीना कपूर और सैफ अली खान को अपने बेटे का नाम तैमूर रखने पर गर्व है; जहां अखिलेश यादव को टीपू उपनाम रखने पर गर्व है। हमारा इतिहास उन लोगों ने लिखा है जो हिंदू, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान से नफरत करते थे। हमारा इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जा रहा है जो हिंदू, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। सैकड़ों उदाहरण हैं लेकिन केवल एक ही पर्याप्त होगा। टीपू सुल्तान: उनका घोषणापत्र पढ़ें, जो उन्हीं के शब्दों में लिखा गया है।[150] यह एक भयानक उद्घोषणा है जिसमें सभी मुसलमानों से जिहाद छेड़ने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया गया है वह लिखते हैं, काफिरों का विनाश एक पवित्र कर्तव्य है। कूर्ग के हिंदुओं को विशेष रूप से क्रूर हमले का सामना करना पड़ा। हत्याएँ, यातनाएँ, जबरन धर्म परिवर्तन। यहाँ तक कि मृत हिंदुओं का भी धर्म परिवर्तन किया गया। मरे हुए हिंदू भी! टीपू ने 800 से अधिक मंदिरों, 27 चर्चों को नष्ट कर दिया, 60,000 ईसाइयों को बंदी बना लिया, 30,000 का धर्म परिवर्तन कराया और हजारों की हत्या कर दी;[151] इतिहासकार लुईस राइस[152] और आर.डी. पाल्सोकर का मानना है कि यह आँकड़ा 8,000 मंदिरों तक हो सकता है।[153] मांड्यम आयंगर के

वंशज आज तक दीवाली नहीं मनाते हैं।[154] कभी सोचा है क्यों? इसी दिन टीपू ने उनका कत्लेआम किया था। बार्टोलोमियो को पढ़ें; कालीकट में टीपू सुल्तान के क़त्ल-ए-आम का निजी विवरण। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को नग्न करके घुमाया गया और हाथी ने उन्हें कुचल दिया और फिर भी, हम टीपू को 'सामुदायिक सद्भाव का प्रतीक' कहते हैं। जब बेल्जियम में दुष्ट नस्लवादी राजा लियोपोल्ड की मूर्ति तोड़ी जाती है तो हम खुश होते हैं, लेकिन हम टीपू जैसों का जश्न मनाते हैं क्योंकि हिंदुओं की हत्या करने वाले अत्याचारी अत्याचारी नहीं बल्कि नायक हैं? टीपू की प्रशंसा करना कांगो में सड़कों और बंदरगाहों के निर्माण, हाथी दांत और रबर के व्यापार और लाखों हत्याओं को संतुलित करने के लिए राजा लियोपोल्ड की प्रशंसा करने जैसा है। टीपू सुलतास के समर्थकों और नरसंहार से इनकार करने वालों के बीच कोई अंतर नहीं है। और फिर भी वे लाखों की संख्या में मौजूद हैं। आने वाले वर्षों में, मुझे यकीन है कि याकूब मेमन की कब्र उतनी ही लोकप्रिय पूजा स्थल बन जाएगी जितनी औरंगजेब की कब्र है। राजनेताओं और फिल्मी सितारों ने दौरा किया और प्रार्थना की। वही औरंगजेब, जिसने आईएसआईएस से 350 साल पहले बगदादी को धोखा दिया था। उसके द्वारा किए गए नरसंहार में 4.6 मिलियन हिंदू लोगों की जान चली गई। अगर कोई घटना लाखों लोगों को रोंगटे खड़े कर देने वाली कल्पनाएं जुटा सकती है, तो वह 1675 में दिन के उजाले में चांदनी चौक की घटना होगी, जहां गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के आदेश पर कत्ल कर दिया गया। और फिर भी, हमारे पास उनके नाम पर शहर और सड़कें हैं - हमने उनकी कब्र को पवित्र किया है और एक स्मारक में बदल दिया है। पचहत्तर वर्ष गुज़र चुके हैं, लेकिन हमें अभी भी ब्रेनवाशिंग और गुलामी से आजादी नहीं मिली है। और इसीलिए, आने वाले वर्षों में याकूब मेमन का जश्न वैसे ही मनाया जाएगा जैसे औरंगजेब का मनाया जाता है। आख़िरकार, उनके अंतिम संस्कार में हज़ारों लोग शामिल हुए, उनके गालों से आँसू

बह रहे थे। लोग उनकी कब्र पर आकर प्रार्थना करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे।

आर्यों से लेकर औरंगजेब तक, सेंट जेवियर्स से लेकर शिवाजी तक, हमारे इतिहासकारों ने चुना है कि क्या छिपाना है, क्या आविष्कार करना है और क्या प्रकट करना है। इसका एकमात्र कारण एक विचारधारा, एक सरकार, एक पारिस्थितिकी तंत्र या एक गुट के संरक्षण की लालसा है। खलनायकों को नायक और नायकों को खलनायक बना दिया जाता है। हमें यह इसी तरह पसंद है. हमारी ऐतिहासिक शख्सियतों की पूजा की जानी चाहिए; उन्हें देवताओं में, एटलस में बनाया जाना है जो हमारी विचारधाराओं और हमारे आधारों का भार अपनी गर्दन पर रखते हैं। मिथक के रूप में इतिहास; इतिहास के रूप में मिथक। यह उसके अनुरूप है कि आप वास्तव में अपने वर्तमान के बारे में अनिश्चित हैं और अपने भाग्य से भयभीत। सब कुछ भयग्रस्त और काँपता हुआ; और इस बुझे हुए किन्तु टिमटिमाते हुए कोयले के चारों ओर सारा देश चलता है। कहीं नहीं जाने की यात्रा - धीमी और थका देने वाली -आक्रान्ताओं को उचित ठहराने की और अपना सब कुछ भूल जाने की - जब तक आपको यह एहसास न हो जाए कि एक भव्य योजना क्या होती है –।

हम विदेशी विनाशकारी विचारधाराओं और कार्ल मार्क्स, माओ, चे जैसे उसके प्रवर्तकों के बारे में और कैसे समझा सकते हैं? क्या अब आप समझ सकते हैं कि किसी विशेष इतिहास को पढ़ना और आत्मसात करना किसी देश को कैसे कमजोर कर सकता है? क्योंकि जब आप चे, माओ और पोलपोट जैसे राक्षसों की प्रशंसा करते हैं - तो आप उनके रास्ते पर चलने का निर्णय भी लेते हैं - आप राष्ट्र को कमजोर करते हैं। देखिए कम्युनिस्टों ने बंगाल में क्या किया। देखिए उन्होंने जिस किसी भी चीज़ को छुआ उसके साथ उन्होंने क्या किया। और वे अब भी स्टालिन और माओ के प्रति सम्मान रखते हैं। माओ, जिसने अपने ही 63 मिलियन लोगों को मार डाला। और

अगर आपको लगता है कि मैं एक काल्पनिक और दार्शनिक बात कर रहा हूं, तो मुझे याद है कि कौन परमाणु समझौते को विफल करना चाहता था, कौन क्रांति के खिलाफ था, नदी जोड़ने, बांधों के खिलाफ था, तो याद करें कि 1962 के युद्ध के दौरान रक्तदान शिविर लगाने से किसने मना किया था। चीन के साथ, याद करें कि तियानमेन स्क्वायर नरसंहार की सराहना किसने की, याद करें कि उदारीकरण के खिलाफ कौन था। वे आज भी हमारे बीच, हमारे समाज में, हमारी समितियों में मौजूद हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारी संसद में। जितना अधिक हम अपने इतिहास से अनभिज्ञ होते हैं, जितना अधिक हमें इसे गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, उतना ही हम उनके लिए सत्ता में लौटने का रास्ता साफ करते हैं।

हमारे लिए इतिहास, या तो छुपाने के लिए है या आविष्कार करने के लिए है। हम बताते हैं और फिर से बताते हैं कि हमें इसमें क्या पसंद है, और जो हमें नहीं पसंद है, हम उसे निचोड़ते हैं और गद्दे के नीचे रख देते हैं। विजेताओं के लिए, इतिहास लिखने के लिए एक कलम; पराजितों के लिए, इसे ढोने का बोझ। लेकिन हम भूल जाते हैं: इतिहास होम्योपैथी नहीं है - पतला होने पर यह प्लेसबो के रूप में काम नहीं करता है, यह बस गायब हो जाता है। हर शहर में एक हिंदू रहता है, हर स्कूल में वह जाता है। वह जिस भी विश्वविद्यालय में जाता है, जिस भी सड़क पर वह चलता है, वह अपने क्रूर अतीत का सामना करने से बच नहीं सकता है, जिसने उसके साथ बलात्कार किया, अंग-भंग किया, हत्या की और धर्मांतरण किया; इससे अपमानित होने से बच नहीं सकते, इतिहास की ताकत से इसे फिर से पीटा जाता है, मुट्ठी में बाँध लिया जाता है जो हमारी तरफ आता ही चला जाता है, जब तक हिंदू कैनवास पर औंधे मुंह नहीं लेटा होता, उसके होठों से खून से लथपथ थूक निकल रहा होता। वे कहते हैं, यह एक हिंदू राष्ट्र है। मैं उनसे पूछता हूं: क्या तेल अवीव में कोई हिटलर रोड है?

8

पूजा स्थल अधिनियम, 1991

जैसा कि मैंने पहले कहा है, विजेताओं द्वारा लिखा गया इतिहास, पराजितों द्वारा गढ़ा गया है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारत में अब तक के सबसे बर्बर कानूनों में से एक 1991 का पूजा स्थल अधिनियम है।[155] लेकिन 2019 में, महान् दिखने का स्वांग करनेवाले वाले सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अयोध्या फैसले में जानबूझकर इस अधिनियम की पुष्टि की, जो राम जन्मभूमि को छोड़कर सभी धार्मिक स्थलों को बनाए रखने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि वे 15 अगस्त 1947 को थे। 8,000 साल पुरानी सभ्यता में 75 साल पुरानी तारीख। काशी या मथुरा के ऐतिहासिक अन्याय को अब कभी भी सुलझाया नहीं जा सकता है जब तक कि संसद इस बर्बर कृत्य को खारिज न कर दे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुए इसके विश्वासघाती अनुमोदन को भी खारिज कर दे।

लोकतंत्र में ऐतिहासिक अन्यायों को ठीक करने के लिए कानूनी उपाय से इनकार नहीं किया जा सकता है। और यह कोई हिंदू मुद्दा नहीं है। डार्विनियन नास्तिक होने के नाते मैं पूजा स्थल अधिनियम को निरस्त करने की माँग करता हूँ। यदि किसी हिंदू राजा ने एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया होता और उस पर एक मंदिर बनाया होता, तो मैं, एक काफ़िर और एक नास्तिक, जिसके लिए इस्लाम में मौत की सज़ा का प्रावधान है, मुसलमानों के कानूनी रूप से अपनी

मस्जिद को वापस पाने के अधिकार के लिए लड़ता। इतिहास विचारपूर्ण, उम्मीद से भरा, चिल्लाती हुई छवियों का एक संग्रह मात्र है; और यदि कोई छवि लाखों शब्दों को व्यक्त कर सकती है, तो वह नंदी की छवि होगी जो अपने स्वामी के प्रकट होने के लिए 400 वर्षों से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। क्या उसे अगले 400 वर्षों तक इंतजार करना होगा?

राष्ट्र अपने अतीत के कारण कमजोर नहीं होते बल्कि, इससे कि उन्हें उनका अतीत कैसे सिखाया जाता है। 70 वर्षों से, हमें मथुरा ईदगाह और ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू-मुस्लिम एकता के स्मारक के रूप में मनाना सिखाया गया है, न कि उस तरह जैसे कि वे वास्तव में हैं। एक क्रूर ऐतिहासिक अन्याय। क्योंकि 70 वर्षों से हमें क्रूर ऐतिहासिक अन्यायों को भूलना सिखाया गया है। सोमनाथ से काशी विश्वनाथ, बाबरपुर से बख्तियारपुर, इलाहाबाद से औरंगाबाद तक, अवमूल्यन पर सिंहनाद करने, अपमान का जश्न मनाने के लिए इन अन्यायों को जानबूझकर दृश्यमान बनाया गया है, और विडम्बना यह है कि जिन लोगों ने हमें यह सिखाया है, उन्होंने ही हममें यह बिकाऊपन पैदा किया है - वही लोग दुनिया भर में ऐतिहासिक अन्यायों को बढ़ावा देना चाहते हैं। वे कॉन्फेडेरसी जनरलों, रोड्स, चर्चिल, पिज़ारो, मर्रे, कॉल्स्टन, लियोपोल्ड जैसे पश्चिम के बर्बर लोगों की निंदा करते हैं जिनकी अब तक पूजा की जाती थी। वे अपनी सड़कों और इमारतों के पुनर्निर्माण का जश्न मनाते हैं, उनकी मूर्तियों को अवैध रूप से गिराया जाता है, लेकिन यहाँ, भारत में, वही टीपू, औरंगजेब, बाबर, खिलजी जैसे बर्बर लोगों की प्रशंसा होती है। वे काशी, मथुरा, अयोध्या, मार्तण्ड के विनाश का जश्न मनाते हैं। यह हिंदू धर्म के प्रति घृणा और जिहादवाद के प्रति प्रेम, भारत के प्रति घृणा और इसके विखंडन के प्रति प्रेम है।

इसके विच्छेद के लिए- दंभ की सीमा को दिखाने के लिए, यहाँ 2019 का अयोध्या निर्णय का एक अंश दिया गया है, जहां माननीय

न्यायाधीश प्रसन्न होकर स्वेच्छा से इस अधिनियम की पुष्टि करते हैं। जो लोग उस उमस भरे दिन अदालत में बैठे थे और देश की सर्वोच्च अदालत में इन शब्दों को सुना था, मैं उसकी जादूगरी को यहाँ फिर से रचने के लिए, और विनाश और अपमान के आत्मघाती तांडव में किसी की पीठ पर चाबुक मारने जैसी आवाज़ का शब्द रूपांकन करूंगा। पूजा स्थल अधिनियम बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के अलावा एकमात्र अपवाद के साथ नए मुक़दमे या कानूनी कार्यवाही की स्थापना पर रोक लगाता है क्योंकि कानून के अमल में आ जाने पर अपील या कार्यवाही इस आधार पर लंबित है कि कोई पूजास्थल 15 अगस्त 1947 के बाद रूपांतरित हुआ है। व्हूओह, थॉक! इस प्रकार पूजा स्थल अधिनियम एक विधायी हस्तक्षेप है जो हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में गैर-प्रतिगमन को संरक्षित करता है क्योंकि यह आंतरिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के दायित्वों से संबंधित है। वॉलॉप, स्मैक! 'यह सभी धर्मों की समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।' व्हिज़ थम्प! 'सबसे बढ़कर, पूजा स्थल अधिनियम उस गंभीर कर्तव्य की पुष्टि है जो एक आवश्यक संवैधानिक मूल्य के रूप में सभी धर्मों की समानता को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए राज्य पर डाला गया था, एक ऐसा मानदंड जिसे संविधान की एक बुनियादी विशेषता होने का दर्जा प्राप्त है। झटका, थप्पड़! पूजा स्थल अधिनियम को लागू करने के पीछे एक उद्देश्य है और वह यह है कि कानून हमारे इतिहास और राष्ट्र के भविष्य के बारे में बात करता है।'

क्या आप पूर्ण रूप से पंगु हैं? क्या घाव संतोषजनक रूप से गहरा है? यह कानून हमारे इतिहास और देश के भविष्य के बारे में बात करता है? नहीं, यह कानून हमारे इतिहास को धूमिल कर देता है और हमारे भविष्य को नष्ट कर देता है। अपने चाबुक की रस्सियों पर और तेल दें। उन्हें अपनी हथेली के खोखले हिस्से में प्यार से चलाएं, अपनी पीठ को एक और हमले के लिए तैयार करें, क्योंकि सुप्रीम

कोर्ट का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद यह शेखी बघारते हुए इस बात को रेखांकित करता है कि गृह मंत्री ने इस बर्बर कृत्य को लोकसभा के पटल पर पेश करते समय क्या कहा था। कानून बनाने का उद्देश्य केंद्रीय गृह मंत्री ने 10 सितंबर 1991 को लोकसभा के पटल पर बताया था- "हम इस विधेयक को प्रेम, शांति और सद्भाव की हमारी गौरवशाली परंपराओं को प्रदान करने और विकसित करने के उपाय के रूप में देखते हैं। ये परंपराएँ एक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं जिस पर हर भारतीय को औचित्यपूर्ण गर्व है। सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता प्राचीन काल से ही हमारी महान सभ्यता की विशेषता रही है।'

'यह कभी न भूलें कि इन राजनेताओं और इन न्यायाधीशों ने हमारी सभ्यता की विशेषता को सुरक्षित रखने के लिए इस कठोर अधिनियम को लागू किया है। उन्होंने इस तरह बात की और कार्य किया जैसे कि वे समझते हैं हम नहीं, कि एक सभ्यता क्या है और क्योंकि वे इसकी विशेषताओं के रखवाले हैं, उन्हें हमारे लिए कार्य करना चाहिए, चाहे उनके कार्यों के परिणाम कितने भी अन्यायपूर्ण या अलोकतांत्रिक क्यों न हों, इसलिए मैं पूछता हूं -सभ्यता क्या है? आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? क्या यह एक विचार है जिसे प्रजा पर थोपा जाए ताकि वे इसे आगे बढाएँ; क्या यह चमकती हुई क्रॉकरी के बाईं ओर कांटों और दाईं ओर चम्मचों का स्थान है; क्या यह परिधान संबंधी वैभव है; क्या ये बोले गए या लिखे गए शब्द हैं; क्या यह विज्ञान है; क्या यह जीवन जीने में आसानी है, क्या यह उपभोग है; क्या यह पैसा है? कई क्रूरतम अत्याचारी, जिन्होंने लाखों लोगों की हत्या की, पूरी नस्लों, यहां तक कि महाद्वीपों को भी मिटा दिया, कवि, कलाकार, विज्ञान के समर्थक रहे हैं; लेकिन क्या आप उनकी बनाई निधि को किसी सभ्यता को बढ़ावा देना या प्रश्रय देना कहेंगे? मेरे लिए, सभ्यता की पहचान मनुष्य की अपने पूर्वजों के लिए न्याय की माँग करने की, एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने

की एक कभी न बुझने वाली प्यास है, क्योंकि यह एक निरंतरता का उदाहरण है; एक विचार, एक ऐसी स्मृति जो कभी मिट नहीं सकती; इसके लिए लड़ना और इसे संरक्षित रखना उचित है, यह न्याय को उसके सभी भागों के योग से भी बड़ा बनाता है। और इसीलिए सभ्यताएँ साम्राज्यों की तरह क्षणभंगुर नहीं होतीं। सैकड़ों वर्षों से मर रहे लोगों के लिए न्याय की माँग करना उनके दर्द, उनकी पीड़ा, उनके विनाश को शरीर और समय की सीमाओं को पार कर महसूस कर पाने जैसा है। और इसीलिए इतिहास एक औषधि है; रेचन एक इलाज क्यों है? और जब मैं राम जन्मभूमि को पुनः प्राप्त होते देखता हूं, तो मैं इसे एक विरेचन के रूप में देखता हूं, अपने उन पूर्वजों को न्याय दिलाने के रूप में, जिनके साथ अन्याय हुआ था। मुझे नहीं पता कि मंदिर कैसा आकार लेगा; मैं नहीं जानता कि आख़िरकार यह कब सामने आएगा; एक तरह से नास्तिक होने के नाते मेरे लिए ये मुद्दे मायने नहीं रखते। लेकिन मैं सच में जानता हूं कि मुक्ति आ गई है। यह मेरे लिए उलझन की बात है क्योंकि मैं कोशिकाओं का एक समूह मात्र हूँ, आज यहाँ हूँ और कल चला जाऊँगा; लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, ऐतिहासिक न्याय को पाने का प्रयास करने की यह अवधारणा महत्वपूर्ण है; यह परिभाषित करता है कि मैं कौन हूँ, मैं किस सभ्यता का हिस्सा हूं; कि मेरे जीन को मिटाने से मेरी सभ्यता नहीं मिट सकती। न्याय की अवधारणा स्मृति की तरह है। यह सच होने तक निरंतर आगे बढ़ता रहता है। और उन लोगों से मैं पूछता हूँ कि अब इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र कहते हैं, जो कि धार्मिक कट्टरपंथियों और फासिस्टों द्वारा चलाया जाता है, कि कौन से सामंती राज्य में धार्मिक उत्साही लोग एक सहस्राब्दी के लिए भटकेंगे और फिर भी, 1 अरब मजबूत लोग, अपने स्वप्न का भाग्य, उनकी अनुकम्पा, स्वयं अपनी आत्मा की सनातन अभिलाषा 5 लोगों के निर्णय पर छोड़ दें? यही बात मुझे प्रेरित करती है, कि भारत ने अयोध्या फैसले की डिलीवरी और स्वीकृति के माध्यम से, अपना इतिहास न्याय के

व्याकरण के अनुसार लिखा है, अराजकता के अनुसार नहीं। यह क्षण कई अंतर्निहित दार्शनिक उलझनों को सामने लाता है, जिनमें से एक यह है: क्या एक न्यायाधीश को समाज की उपज होना चाहिए, या एक समाज को न्यायाधीश की उपज होना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, 5 न्यायाधीशों ने कहा कि 1 अरब हिंदुओं के लिए यह अच्छा विकल्प था। विद्वत्ता ने अराजकता पर विजय प्राप्त की और मुझे इसका गर्व है।

बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि मुद्दे पर, यह समझने के लिए किसी को सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ना चाहिए कि क्यों नीमहकीम इतिहासकारों ने इतने झूठ फैलाए कि अदालतों को उनकी कपटपूर्णता और मामूलीपन के लिए सबक सिखाने वाले कदम उठाने पड़े? उन्होंने कहा कि खोदे गए 50 मंदिर स्तंभ वहां रखे गए थे; उन्होंने कहा कि विष्णु हरि शिलालेख लखनऊ संग्रहालय से चुराया गया था और वहां लाया गया था; उन्होंने कहा कि वहाँ एक बौद्ध मंदिर था, वहाँ एक जैन मंदिर था, वहाँ एक मस्जिद थी, लेकिन गुंबद के नीचे कोई हिंदू मंदिर नहीं था। अंततः, उनके सारे झूठ धरे के धरे रह गए, क्योंकि न्यायाधीशों ने उनके सभी दावों को खारिज कर दिया और स्वीकार किया कि वास्तव में गुंबद के नीचे एक हिंदू मंदिर था और गुंबद की नींव नहीं थी, बल्कि मौजूदा दीवारों पर इसे खड़ा किया गया था। कोर्ट ने एक प्रोफेसर सुवीरा जयसवाल के बारे में ये कहा: 'उनका दावा है कि अयोध्या में विवादित इमारत का निर्माण सोलहवीं शताब्दी में बाबर ने कराया था जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है और यह बयान वह एक इतिहासकार के रूप में दे रही हैं, लेकिन साथ ही पेज 105 पर उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है और पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है, इसलिए, यह नहीं कह सकती कि बाबरी मस्जिद कब अस्तित्व में आई।[158] आर.सी. ठाकरन : समाचार-पत्रों में मैंने पढ़ा है कि बाबर ने अयोध्या में एक मस्जिद

बनवाई थी। एक इतिहासकार के तौर पर मैं अखबारों को ज्ञान का स्रोत मानता हूं। मैंने खुद कभी किसी क्षेत्र में कोई उत्खनन नहीं किया।[159] अदालत ने विशेषज्ञ इतिहासकार प्रो. सुशील श्रीवास्तव पर टिप्पणी करते हुए कहा-'यद्यपि गवाह को एक विशेषज्ञ इतिहासकार के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन पृष्ठ 222 पर वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें इतिहास का बहुत कम ज्ञान है।[160]

इसे कहने का कोई अन्य तरीका नहीं है - न्याय के लिए एकमात्र सहारा विज्ञान और साक्ष्य हैं। मैं आपको ट्यूरिन कफ़न की कहानी पर वापस ले जाता हूं, जिसके बारे में 1989 तक माना जाता था कि 2,000 वर्षों तक सूली पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु मसीह के शरीर को लपेटने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, जबतक वैज्ञानिकों ने कार्बन-डेटिंग के माध्यम से साबित नहीं किया कि यह केवल 600 वर्ष पुराना था।[161] विज्ञान हमें अपने अतीत से नहीं डरना सिखाता है। कानून हमें सिखाता है वे राष्ट्र जो अपने अतीत से डरते हैं, अपने भविष्य से डरते हैं। पूजा स्थल अधिनियम हमें न केवल अपने अतीत से डरना सिखाता है बल्कि अपने भविष्य से भी डरना सिखाता है।

इसीलिए मैं कहता हूँ कि अयोध्या या काशी या मथुरा के मामले में न्याय पाने के लिए अदालत के सामने गुहार लगाने के लिए हिंदुओं का धन्यवाद करना चाहिए। यदि किसी दूसरे धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थल को ध्वस्त कर दिया गया होता और दूसरे धर्म के लोगों ने पवित्र अवशेष के चारों ओर अपने गंदे पैर धोए होते, तो इस देश में गृहयुद्ध हो गया होता। यह नास्तिक उन एक अरब हिंदुओं के प्रति कृतज्ञता का ऋणी है जो अपना इतिहास अराजकता के नहीं, बल्कि न्याय के व्याकरण के साथ लिख रहे हैं। खासकर इसलिए क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और उस पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। केवल वही लोग अन्यथा विश्वास करते

हैं जिन्होंने अपना इतिहास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। औरंगजेब की सबसे प्रामाणिक जीवनी मसीर-ए-आलमगिरी में लिखा है कि 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। और फिर, एक साल बाद, उन्होंने मथुरा में मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और आगरा में लाई गई मूर्तियों को बेगम साहब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे बिखेर दिया ताकि उन्हें कुचला जा सके। यह फरमान बीकानेर अभिलेखागार में भी संगृहीत है।[162] सर जदुनाथ सरकार का मसीर-ए-आलमगिरी का अनुवाद है- इस्लाम की स्थापना के लिए उत्सुक औरंगजेब ने सभी प्रांतों के राज्यपालों को आदेश जारी किए- काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त कर दो और अत्यंत तत्परता से इन अविश्वासियों के धर्म की शिक्षाओं और उनके सार्वजनिक अभ्यास को ख़त्म कर दो।"[163] और फिर भी, ऐसे लोग हैं जो ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए हिंदुओं को 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के माध्यम से उनके वैध अधिकार से वंचित करते हैं और उनमें से प्रमुख हमारी विधायिका और न्यायपालिका हैं। और यही कारण है कि मैं आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत से पूरी तरह असहमत हूँ, जब वह कहते हैं: हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों करें?"[164] मुझे उनका बयान बेतुका, तुच्छ और उन सभी के लिए अपमानजनक लगता है जो ऐतिहासिक अन्याय को कानूनी रूप से ठीक करना चाहते हैं।

आप कह सकते हैं कि एक डार्विनियन नास्तिक के रूप में मुझे हस्तक्षेप करने का कोई वैध अधिकार नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह कोई हिंदू मुद्दा या कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। एक शिवलिंग, दस या दस हजार शिवलिंग की तलाश, ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने वाले ध्वस्त पूजा स्थलों को पुनः प्राप्त करना, एक भारतीय मुद्दा है। यह एक सभ्यतागत मुद्दा है. इतिहासकार श्री सीताराम गोयल ने 1862 मस्जिदों को सावधानीपूर्वक सारणीबद्ध

किया जो ध्वस्त मंदिरों पर बनाई गई हैं।[165] जे साई दीपक[166] एवं विक्रम संपत के अनुसार यह संख्या 40,000 तक है। और यही कारण है कि हमें प्रत्येक शिवलिंग की तलाश करने की आवश्यकता है, चाहे वह कहीं भी हो। छिपा हो या प्रकट हो, भूमिगत हो या भूमि के ऊपर, हम इसका श्रेय अपने पूर्वजों को देते हैं। हम इसका श्रेय न्याय को देते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, न्याय की अवधारणा स्मृति की तरह है। यह सच होने तक आगे बढ़ता रहता है। नंदी को उन पर और उनके स्वामी के निवास पर अत्याचारियों द्वारा किए गए पापों को क्यों नहीं धोना चाहिए?

उसके पैर झुक गए, उसकी आँखें गीली हो गई
पत्थरों में नक्काशी की गई है,
लेकिन दिल परेशान है
वह कान खड़े करके बाहर बैठा है
400 वर्षों से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है
उसने राक्षस और उसकी भीड़ को
अपने स्वामी पर जंग लगी तलवारों से हमला करते देखा
उसने उन्हें धोते हुए देखा, उन्हें थूकते हुए देखा
गड्ढे के उस पानी में वह उनकी चीखें सुनता था,
उनकी पुकार सुनता था
वह इन सबसे गुजरा है,
उसने यह सब कुछ देखा
लेकिन एक फुसफुसाहट नहीं, एक कराह नहीं
वह जीवन तो था किन्तु किसी के ऋण की तरह
और फिर, सदियों के भुगतान के बाद
जब उसके आनंद का क्षण आया
उसने उन्हें दावा करते देखा
यह सिर्फ एक फव्वारा था.

उपसंहार

तो इस प्रकार, ये आठ कारण हैं कि क्यों इस तथाकथित हिंदू राष्ट्र में हिंदू न केवल दोयम दर्जे के बल्कि, आठवें दर्जे के नागरिक हैं। मैं चुनौतीपूर्वक यह कहता हूँ कि अधिकांश हिंदुओं को इस विधायी, न्यायिक और संवैधानिक नस्लभेद के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ, कि मुझे स्वयं कुछ महीने पहले तक पता नहीं था। क्योंकि, पिछले नौ वर्षों में, एक दिन भी नहीं बीता है जब मीडिया वृत्तांतों पर, मुख्य रूप से अकादमिक संवर्धन और अपने प्रभाव की गहरी जड़ों के माध्यम से एक ऐसे समूहगत भरोसे के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए व्यवस्था उनके साथ है, एकाधिकार रखने वाले वामपंथ ने और ऐसा कोई दिन नहीं गया जब वामपंथियों ने प्रचंड दुष्प्रचार, चयनवाद, हिंदूफोबिया का डर, बेशर्म पाखंड और झूठी समकक्षता को संस्थापित करने से लेकर गलत सूचना और फर्जी समाचार फैलाने तक में लिप्त न हुए हों तथा चुनाव आयोग और सशस्त्र बलों पर आक्षेप लगाने तक में कोई कसर नहीं छोड़ी। बुद्धिजीवी ढोंगी बन गये हैं।

और ढोंग करने वाले बन गए हैं कुम्हार। उन्होंने सुनिश्चित कर दिया है कि वह मुलायम मिट्टी जो अंततः पकने पर ज्ञान और विचक्षणता में परिवर्तित होती है, वह मिट्टी अनकहे दुखों और मामूलीपन की है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था-नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था।

यह मिट्टी विशेष है। यह वही मिट्टी है जिसने हमें पोषित करने वाले गौरवशाली वेदों को अपना रसपान कराया, जिनकी समृद्धि

अपने लोगों की महानता का मौन प्रतिबिम्बन थी; जिसकी बुनावट में विविधता में एकता की गूँज है, जिसकी सुगंध में बंकिम और भारती तथा विवेकानन्द और अम्बेडकर तथा सी.वी.रमण की स्मृतियाँ बसी हैं, जिनके खून से शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी पैदा हुए। यह वही मिट्टी है। यह वही मिट्टी है जो हमारे पहाड़ों से नीचे सरकती है और हमारी पवित्र नदियों के पाप-नाशक जल से धुल जाती है और जब वे उसी मिट्टी को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में होते हैं, तो यह मिट्टी गंगासागर में अपने काँपते हाथों में ग्रहण करते हैं, इससे पहले कि वह हमेशा के लिए विशाल निष्ठुर सागर में खो जाए और तब एक भारत गढ़ते हैं, एक महान भारत जहाँ एक अरब हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के आसानी से जीने और अस्तित्व में बने रहने की अनुमति होगी। वे ज़्यादा कुछ नहीं माँगते; उनके पास कभी कुछ नहीं रहा, लेकिन सवाल है कि क्या उनके पास कभी कुछ नहीं होगा; मैं यह उन पर छोड़ता हूँ। जैसी वह महान नवाजो कहावत है- "आप सोने का नाटक कर रहे व्यक्ति को नहीं जगा सकते।"

परावाक्

जैसे ही कोई इस सतर्क सन्दर्भों वाले और सुलिखित वाक्पटु पुस्तक को पढ़कर समाप्त करता है, वह भय, क्रोध और करुणा की गहरी भावना से भर जाता है- भय और क्रोध उन हिन्दुओं के प्रति, जो दुनिया से बेखबर एक परीलोक में आनंदपूर्वक रह रहे हैं और एकतरफा पहल और अपने जोखिम पर अपने कंधे पर धर्मनिरपेक्षता का सलीब ढोने के लिए और करुणा, कथित हिन्दू समर्थक व्यवस्था से ठगे जाते रहने के लिए। डॉ. आनंद रंगनाथन, कई टोपियों को सहजता से पहन लेने वाले, एक संपन्न लेखक और कर्तव्यनिष्ठ विचारक हैं, जो कुदाल को खूनी फावड़ा कहने से कभी नहीं कतराते हैं। 'हिंदू राष्ट्र में हिंदू' उन सभी चीजों का आसवन है जिसे वह पिछले कई वर्षों से कई मंचों से साहसपूर्वक व्यक्त कर रहे हैं। वह जिन अनेक विषयों को यहाँ उठाते हैं, विभिन्न स्रोतों के व्यापक शोध पर आधारित है। इस पुस्तक में, डॉ. रंगनाथन ने हमारे लिए हिंदुओं के वर्तमान और भविष्य की एक निराशाजनक तस्वीर खींची है, दुनिया के एकमात्र देश में जहाँ उनके पास कुछ हासिल करने के लिए संख्याबल है।

गांधीवादी और नेहरूवादी युग की दुर्भावनापूर्ण कल्पनाओं से लेकर वर्तमान तीव्र ध्रुवीकरण और वोट-बैंक की राजनीति तक, हिंदू हितों को हमेशा अंतिम प्राथमिकता पर रखा गया है। उसे हमेशा 'धर्मनिरपेक्षता' के व्यापक हितों के लिए अपनी पहचान और चेतना को त्यागने के लिए कहा जाता है, जबकि हर दूसरे समुदाय को इसका दिखावा करने और यहाँ तक कि राजनीतिक, सामुदायिक

और चुनावी लाभों के लिए इसका इस्तेमाल करने की आजादी है। यह पुस्तक विस्तृत तथ्यों और दस्तावेज़ों के साथ स्पष्ट करती है कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू समुदाय के अधिकारों को कुचल दिया गया है - अपने पूजा स्थलों पर दखल रखने या पुनः प्राप्त करने की स्वतंत्रता के मामले में, अपने शिक्षा केंद्रों को फिर से जीवंत करने में, अपने अतीत और अपने नायकों और खलनायकों को देखने की स्वतंत्रता में, घोर अनुचित विधानों में, न्यायिक उपचारों में, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की सुरक्षा में – सारतः इसके अस्तित्व में।

डॉ. रंगनाथन ने अपनी विशिष्ट दो टूक, अडिग और कठोर प्रहार शैली में, एक ऐसे देश में राज्य-समर्थित नस्लभेद को मुद्दा बनाया है, जिसकी दुनिया भर में हिंसक, मर्त्य और रुग्ण हिंदू राष्ट्र के शिखर पर खड़ा होने के रूप में आलोचना की जा रही है जो अपने सभी अल्पसंख्यकों को सुनियोजित नरसंहार द्वारा निगलता जा रहा है। यह कार्य प्रामाणिक रूप से दर्शाता है कि यह उल्टे नुकसान उठाने की नौबत है। एक निश्चित परिधि के भीतर अपने आप में एक विलक्षण कृति के ऐसे पांडित्यपूर्ण और आँखें खोल देने वाले लेखन को पढ़कर भी यदि इन हालात पर काबू पाने के लिए हिन्दू और इस देश की सरकारें नहीं जगीं तो इस समुदाय की दशा उन भेड़ों की तरह हो जाएगी जो काटे जाने के लिए स्वयं क़त्लखाने की ओर चुपचाप चल पड़ती हैं।

डॉ. विक्रम संपत (इतिहासकार, रॉयल हिस्टोरिकल सोसायटी के फेलो)

संदर्भ सूची

1. http://www.gandhiashramsevagram.org/gandhi-literature/mahatma-gandhi-collected-works-volume-94.pdf
2. http://www.gandhiashramsevagram.org/gandhi-literature/mahatma-gandhi-collected-works-volume-26.pdf
3. http://www.gandhiashramsevagram.org/gandhi-literature/mahatma-gandhi-collected-works-volume-39.pdf
4. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/minorities-must-have-first-claim-on-resources-pm/articleshow/754218.cms?from=mdr
5. https://www.youtube.com/watch?v=TMuNWgh7OFE
6. https://www.pradhanmantriyojana.co.in/shaadi-shadi-shagun-scheme-registration/
7. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1812756
8. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/bjp-promises-to-senior-citizens-a-trip-to-jerusalem-in-nagaland-poll-manifesto/articleshow/62962346.cms?from=mdr
9. https://legislative.gov.in/constitution-forty-second-amendment-act-1976

10. https://epaper.thehindu.com/ccidist-ws/th/th_delhi/issues/20322/OPS/GB5AN3NB4.1+G4HA-N45EM.1.html
11. https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13275/1/TNHR%26CE%20ACT%2C%201959%20-%20revised%20and%20updated.pdf; https://swarajyamag.com/magazine/this-model-legislation-will-take-the-government-out-of-our-temples
12. https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2020/sep/10/madras-hc-refuses-to-entertain-plea-challenging-tamil-nadus-law-on-hindu-temples-2195108.html
13. https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/sc-notice-to-ap-on-petition-challenging-hr-and-ce-act/article4211676.ece
14. https://www.indiccollective.org/wp-content/uploads/2020/01/Writ-Petition-for-Tiruchendur.pdf
15. https://theprint.in/opinion/indian-govt-wont-be-any-different-from-british-if-hindus-cant-manage-their-own-temples/218210/
16. http://cms.tn.gov.in/sites/default/files/documents/HR_and%20_CE.pdf
17. https://itms.kar.nic.in/hrcehome/index.php
18. https://indianexpress.com/article/explained/indu-malhotra-padmanabhaswamy-temple-case-kerala-temple-affairs-explained-8121405/
19. https://www.livelaw.in/pdf_upload/21570029670 20224230221105848-1-460077.pdf
20. https://www.indiccollective.org/wp-content/uploads/2021/04/W.P.-No.-14256-of-2020.pdf

21. https://indictales.com/2019/08/07/how-do-we-administer-our-temples-a-talk-by-tr-ramesh/
22. https://theprint.in/opinion/indian-govt-wont-be-any-different-from-british-if-hindus-cant-manage-their-own-temples/218210/
23. https://inmathi.com/2021/09/20/kapaleeswarar-temple-land-471-defaulters-40-per-cent-annual-revenue-loss/25079/
24. https://www.news18.com/news/politics/bjp-slams-mamatas-decision-to-appoint-muslim-leader-as-head-of-tarakeshwar-development-board-1438087.html
25. https://www.deccanherald.com/national/christian-mla-on-ttd-trust-board-spurs-row-665948.html
26. http://www.bareactslive.com/MP/MP728.HTM
27. https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/101022/tirumala-temple-gets-hundi-collection-of-rs-78269-crore-in-six-months.html
28. https://www.timesnownews.com/india/tirumala-venkateswaras-properties-are-worth-rs-85705-crore-tdd-reveals-wealth-details-article-94447297
29. https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/high-court-reprieve-to-temples-having-annual-income-of-up-to-5-lakh/article65411049.ece
30. https://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2022/aug/17/government-forms-21-member-andhra-pradesh-dharmika-parishad-2488378.html
31. https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/11999-temples-have-no-revenue-to-perform-puja-hrce-tells-madras-high-court/article32127028.ece

32. https://www.reuters.com/world/india/indias-jammu-kashmir-receives-most-tourists-75-years-2022-10-07/
33. https://indianexpress.com/article/india/about-5700-rohingya-muslims-residing-in-jammu-and-kashmir-mehbooba-mufti-4483711/
34. https://theprint.in/features/locked-up-like-animals-pandits-want-to-flee-kashmir-hope-its-their-last-exodus/988337/
35. https://www.thehindu.com/news/national/only-17-of-proposed-accommodation-for-kashmiri-migrants-built-so-far-show-home-ministry-data/article65241269.ece
36. https://indianexpress.com/article/political-pulse/kashmiri-pandits-pm-modi-job-package-secure-areas-7920765/
37. https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-08/StatusVariousSchemes_06062017%5B1%5D.pdf
38. https://www.business-standard.com/article/news-ians/12-years-on-nadimarg-massacre-still-rankles-ians-feature-115032300908_1.html
39. https://english.jagran.com/entertainment/the-kashmir-files-who-was-girija-tickoo-the-kashmiri-pandit-woman-who-was-raped-and-killed-with-carpenter-saw-10040986
40. https://newsable.asianetnews.com/india/the-kashmir-files-eyewitness-accoubt-kashmiri-pandit-exodus-r935ob
41. http://www.indiandefencereview.com/news/kashmiri-pandits-offered-three-choices-by-radical-islamists/
42. https://www.tribuneindia.com/news/j-k/yasin-malik-should-not-have-roamed-freely-for-32-years-wife-of-slain-iaf-officer-398069

43. https://www.news18.com/news/india/bitta-karate-butcher-of-kashmiri-pandits-admitted-to-killings-on-video-31-yrs-on-he-faces-a-murder-trial-4922849.html
44. https://indianexpress.com/article/india/kashmiri-pandits-killings-supreme-court-refuses-to-reopen-215-cases/
45. https://www.deccanherald.com/national/north-and-central/supreme-court-dismisses-curative-petition-for-probe-into-genocide-of-kashmiri-pandits-1169824.html
46. https://www.jstor.org/stable/25742155
47. https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-re-education-muslims-ramadan-xinjiang-eat-pork-alcohol-communist-xi-jinping-a8357966.html
48. https://www.outlookindia.com/national/j-k-police-says-88-percent-drop-in-law-and-order-incidents-in-kashmir-since-article-370-abrogation-news-214371
49. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1776816
50. https://twitter.com/AdityaRajKaul/status/689317273337610241?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E689317273337610241%7Ctwgr%5Eea4e3869452b057d035b9e5ba770a896b65762b6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.indiatoday.in%2Ffyi%2Fstory%2Fexodus-of-kashmiri-pandits-january-19-jammu-and-kashmir-304487-2016-01-19
51. https://theprint.in/opinion/waqf-boards-are-indias-big-urban-landlords-but-whose-interest-are-they-serving/1430928/

52. https://lawbeat.in/columns/waqf-land-legal-interpretations-political-strategy
53. https://www.milligazette.com/news/2-focus/10114-return-of-123-waqf-properties-no-reason-to-rejoice/
54. https://www.deccanherald.com/content/31093/in-name-allah-waqf-corruption.html
55. https://www.timesnownews.com/videos/times-now/india-upfront/why-did-congress-gift-prestigious-properties-to-waqf-board-india-upfront-english-news-video-94253621
56. https://www.milligazette.com/news/2-focus/10114-return-of-123-waqf-properties-no-reason-to-rejoice/
57. https://www.milligazette.com/news/2-focus/10114-return-of-123-waqf-properties-no-reason-to-rejoice/
58. http://archive.indianexpress.com/news/wakf-chief-who-stood-in-way-of-ambani-s-dream-home-shunted-out/305947/
59. https://www.wamsi.nic.in/wamsi/dashBoardAction.do;jsessionid=5A04636BD1E2F73B244D62CF45E9DC4F?method=totalRegisteredProp
60. https://www.wamsi.nic.in/wamsi/legis/SCJudgement_OnceWaqfAlwaysWaqf.pdf
61. http://www.mpwaqfboard.org/Public%20Page/WhatisWaqf.aspx
62. https://indianexpress.com/article/explained/explained-how-a-waqf-is-created-and-the-laws-that-govern-such-properties-6072476/
63. https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1995-43.pdf
64. https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1995-43.pdf
65. https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC_CEN_44_74_00001_199543_1517807323904§ionId=10398§ionno=54&orderno=56

66. https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1995-43.pdf
67. https://www.livelaw.in/top-stories/wakf-tribunal-to-try-suit-when-dispute-is-whether-property-is-wakf-or-not-142722
68. https://legal.economictimes.indiatimes.com/news/industry/law-cannot-be-challenged-in-abstract-says-sc-refuses-to-entertain-plea-against-waqf-act/90838569
69. https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-refuses-to-entertain-plea-challenging-wakf-act-196545
70. https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1995-43.pdf
71. https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1995-43.pdf
72. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/gyanvapi-is-waqf-property-mosque-committee-tells-court/article65803233.ece#:~:text=The%20committee%20informed%20the%20court,any%20matter%20pertaining%20to%20it
73. https://ianslive.in/news/tn_waqf_board_claims_ownership_of_1500_year_old_temple_land-906080/NATION/1
74. https://www.wamsi.nic.in/wamsi/legis/PM_Letter_26March1976.pdf
75. https://www.wamsi.nic.in/wamsi/legis/Waqf_EvictionBill2014_RS_Eng.pdf
76. http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ambedkar/ambedkar_partition/412b.html
77. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/myview/waqf-act1995-a-tool-given-to-waqf-boards-to-snatch-the-property-of-hindus/

78. https://www.indiatoday.in/law/story/idgah-maidan-ganesh-chaturthi-bengaluru-karnataka-waqf-board-supreme-court-1993814-2022-08-29
79. https://legislative.gov.in/sites/default/files/The%20Right%20of%20Children%20to%20Free%20and%20Compulsory%20Education%20Act,%202009.pdf
80. https://tfipost.com/2017/01/rte-act-assault-hindu-run-institutions/
81. https://tfipost.com/2017/01/rte-act-assault-hindu-run-institutions/
82. https://swarajyamag.com/ideas/how-hindu-rights-have-been-seriously-damaged-by-article-30-and-rte-act
83. https://www.sadhana108.com/2017/07/11/hindu-schools-closing-right-education-law-rte/
84. https://swarajyamag.com/ideas/how-hindu-rights-have-been-seriously-damaged-by-article-30-and-rte-act
85. https://intellectualkshatriya.com/indias-veda-phobic-educational-system-constitutionalhinduphobia/
86. https://swarajyamag.com/politics/the-right-to-education-act-in-two-cheat-sheets-problems-and-possible-solutions
87. https://www.youtube.com/watch?v=ZUcDp3wsd4E
88. https://www.thenewsminute.com/article/nps-controversy-rte-sectarian-legislation-which-needs-be-repealed-49712
89. https://nisaindia.org/data-on-school-closures
90. https://sundayguardianlive.com/news/11613-rte-leading-closure-low-budget-private-schools
91. https://www.educationworld.in/why-the-rte-act-should-be-scrapped/

92. https://www.dnaindia.com/education/report-7000-maharashtra-schools-served-closure-notice-due-to-non-compliance-of-rte-norms-2293511
93. https://cof.org/sites/default/files/documents/files/India/The%20Constitution%20of%20India%20Article%2030.pdf
94. https://www.constitutionofindia.net/constitution_of_india/fundamental_rights/articles/Article%2028
95. https://indiankanoon.org/doc/1858991/
96. https://www.constitutionofindia.net/constitution_of_india/fundamental_rights/articles/Article%2015
97. https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/amend93.pdf?fbclid%E2%80%89=%E2%80%89IwAR33t3LPSmFiiOrPTReOneb3PHKjjx2aDmuny7DuBcptSGA7U3i-asQKAV0
98. https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/rte-row-4000-schools-to-stay-shut-on-monday/articleshow/68121019.cms
99. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/cag-finds-deficiencies-in-rte-act-implementation-in-haryana/articleshow/57397146.cms
100. https://ccs.in/reimbursements-under-rte-section-122-too-little-too-late
101. https://www.livemint.com/Sundayapp/qHoFCwxUpOdaEesYFA2h2K/Its-time-to-reform-the-RTE-Act.html
102. https://www.hindustantimes.com/india-news/supreme-court-seeks-govt-report-on-minority-status-for-hindus-by-august-30-101652208629150.html

103. https://www.indialegallive.com/magazine/hindus-minority-tag-ministry-of-minority-affairs-ashwini-kumar-upadhyay/
104. https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/minority-status-hindus-centre-approach-1947725-2022-05-10
105. https://indiankanoon.org/doc/508426/
106. https://indiankanoon.org/doc/1188494/
107. https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2005/NAC_Draft_Communal_Violence_Bill_2011.pdf
108. https://www.business-standard.com/article/economy-policy/nac-s-communal-violence-prevention-bill-the-fine-print-111091800053_1.html
109. https://quran.com/en/an-nisa/11
110. https://www.indiatoday.in/india/story/muslim-girl-marriageable-age-15-years-or-puberty-gujarat-high-court-230038-2014-12-06
111. https://www.sociolegalreview.com/post/criminalisation-of-triple-talaq-dissecting-the-constitutional-and-socio-legal-aspects
112. https://www.youtube.com/watch?v=_NAp2kHIzc4&t=2s
113. https://www.timesnownews.com/india/article/lok-sabha-passes-bill-to-remove-leprosy-as-ground-for-divorce/343169
114. https://www.tribuneindia.com/news/archive/j-k/news-detail-773637
115. https://www.business-standard.com/about/what-is-uniform-civil-code
116. https://mea.gov.in/Images/attach/amb/Volume_14_01.pdf

117. http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ambedkar/ambedkar_partition/410.html
118. https://indiankanoon.org/doc/823221/
119. http://www.anandranganathan.com/2013/09/05/inconvenient-judgments/
120. https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1986-25_1.pdf
121. https://sunnah.com/bukhari:5134
122. https://sunnah.com/nasai:3378
123. https://www.hindustantimes.com/india-news/arrogance-clout-sc-slams-nupur-sharma-over-prophet-remarks-what-court-said-101656655590409.html
124. https://indianexpress.com/article/india/sabarimala-verdict-justice-indu-malhotra-dissents-cant-invoke-rationality-in-religion-5378873/
125. https://timesofindia.indiatimes.com/travel/destinations/5-temples-in-india-where-men-are-not-allowed/photostory/83956698.cms
126. https://swarajyamag.com/culture/the-sabarimala-review-and-articles-of-faith-and-rationality
127. https://www.youtube.com/watch?v=_5gw03e85Ik
128. https://www.livelaw.in/top-stories/tripura-hc-bans-animal-bird-sacrifice-in-temples-148529#:~:text=Constitution%20of%20India.-,No%20person%20including%20the%20State%20shall%20be%20allowed%20to%20sacrifice,Karol%20and%20Justice%20Arindam%20Lodh
129. https://www.hindustantimes.com/punjab/no-animal-sacrifice-during-kullu-dussehra-rakesh-kanwar/story-1mX8xo9atOfggxbcDEXFTM.html

130. https://indianexpress.com/article/india/ngt-bans-chanting-of-mantras-ringing-of-bells-in-amarnath-temple-4980926/
131. https://swarajyamag.com/commentary/supreme-court-wont-ban-halal-slaughter-but-the-govt-must-many-european-countries-have-already-done-so
132. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/krishna-stole-butter-but-he-never-did-any-acrobatics-sc/articleshow/53749819.cms
133. https://aaqr.org/articles/aaqr-13-01-oa-0031.pdf
134. https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/stubble-burning-a-problem-for-the-environment-agriculture-and-humans-64912
135. https://theicct.org/wp-content/uploads/2022/05/Meta-study-India-transport_final.pdf
136. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6693810/pdf/dyz022.pdf
137. https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/ban-order-issued-for-dharmapuram-adheenams-pattina-pravesam/article65378679.ece
138. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(02)07737-1/fulltext
139. https://www.hindustantimes.com/india-news/cant-deny-non-hindus-right-to-do-business-near-temples-top-court-101639766460154.html
140. https://www.census2011.co.in/data/town/801381-bakhtiarpur-bihar.html
141. https://bharatabharati.in/2014/08/26/

142. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/how-history-was-made-up-at-nalanda/
143. https://www.google.co.in/books/edition/Babur_Nama/VW2HJL689wgC?hl=en&gbpv=1&dq=baburnama&printsec=frontcover
144. https://swarajyamag.com/ideas/as-icons-of-colonialism-fall-across-the-globe-india-must-also-reassess-its-cultural-heroes-uncover-their-misdeeds-and-retell-history
145. https://www.google.co.in/books/edition/Kashmir_and_It_s_People/QpjKpK7ywPIC?hl=en&gbpv=1&dq=inauthor:%22M.+K.+Kaw%22&printsec=frontcover
146. https://swarajyamag.com/politics/chadar-at-ajmer-sharif-and-praises-on-prithviraj-chauhan-cannot-go-hand-in-hand-chishti-blessed-ghori-to-defeat-prithviraj-as-per-his-biography
147. https://www.firstpost.com/living/aurangzebs-tyranny-and-bigotry-cannot-be-whitewashed-a-counter-view-3426630.html
148. https://www.hindustantimes.com/columns/the-way-backward-and-a-way-forward/story-aKEpOpWAngQybRTpFqL6EP.html
149. https://www.firstpost.com/opinion-news-expert-views-news-analysis-firstpost-viewpoint/whitewashing-genocides-and-history-phobia-why-ks-lals-claims-of-80-mn-hindus-killed-by-islamic-barbarism-hold-water-11618501.html
150. https://ia802706.us.archive.org/4/items/selectlettersoft00tipu/selectlettersoft00tipu.pdf

151. https://www.amazon.in/Major-General-Thomas-Munro-Governor-Madras/dp/1295525550
152. https://www.google.co.in/books/edition/Mysore_a_Gazetteer_Compiled_for_Governme/EO6FzQEACAAJ?hl=en
153. https://www.google.co.in/books/edition/Tipu_Sultan/Ma05AQAAIAAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=-Colonel+R.D.+Palsokar&dq=Colonel+R.D.+Palsokar&printsec=frontcover
154. https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/mandyam-community-still-feels-tipus-sword/articleshow/71861480.cms
155. https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1991-42.pdf
156. https://www.sci.gov.in/pdf/JUD_2.pdf
157. https://www.nytimes.com/2020/06/09/world/europe/king-leopold-statue-antwerp.html
158. https://openthemagazine.com/cover-stories/where-did-the-temples-go/
159. https://openthemagazine.com/cover-stories/where-did-the-temples-go/
160. https://www.indiafacts.org.in/ayodhya-dispute-fighting-eminent-historians/
161. https://www.nature.com/articles/337611a0
162. https://openthemagazine.com/cover-stories/aurangzebs-reign-in-the-light-of-his-own-orders/
163. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.62691
164. https://timesofindia.indiatimes.com/india/rss-chief-why-look-for-shivling-in-every-mosque/articleshow/91971714.cms

165. https://www.hindustanbooks.com/pdfs/10120488-Hindu-TemplesWhat-Happend-to-Them-by-Sita-Ram-Goel.pdf
166. https://www.opindia.com/2022/02/hindus-will-lose-out-if-ucc-brought-without-preparations-adv-j-sai-deepak/
167. https://www.youtube.com/watch?v=lYXX6vj0fmQ

आभार

मैं श्री मृगांक परांजपे और प्रबोधन मंच, विले पारले का आभार प्रकट करता हूं जिनके मंच से मैंने यह व्याख्यान दिया। मैं धन्यवाद करता हूं , प्रकाशक प्रवीण तिवारी और संपादक करमाकर का। इन लोगों के कुशलतापूर्ण दिशा-निर्देश के बिना इस कृति का आकर ले पाना संभव नहीं था। मैं पांडुलिपि के समीक्षात्मक पाठ के लिए आलो पाल का भी आभारी हूं। कुछ विवरण, जैसे शाहबानो और सबरीमाला के विस्तृत प्रसंग, मेरे द्वारा पूर्व में लिखे गए आलेखों से लिए गए हैं और इन्हें www.anandrangnathan.com पर देखा जा सकता है। इस रचना को टर्निटिन सॉफ्टवेयर पर परखा जा चुका है।

सबसे बढ़कर, मैं इस देश के उन हिंदुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इतना भेदभाव झेलकर भी एक मोहक मुस्कान अपने चेहरे पर रखकर और अपने कदमों में एक ऊर्जा भरकर सबके सामने प्रस्तुत हैं। और इसलिए, मैं इस एक बार के लिए अपने डार्विनवाद की आस्था को त्यागने को तैयार हूं और यह मानते हुए कि कर्म का अस्तित्व है, आशा करता हूं कि इन्हें वह न्याय, समानता और समकक्षता मिल सकेगी। इस सर्वस्वीकार और दीर्घउत्पीड़न से गुज़रे उपालंभरहित समुदाय के प्रति मेरी छोटी सी भावाभिव्यंजना है कि इस कृति से मुझे मिलने वाली सारी रॉयल्टी हिंदू शरणार्थियों कल्याणार्थ जाएगी।

आनंद रंगनाथन एक विज्ञानवेत्ता और लेखक हैं। उन्होंने चार उपन्यास लिखे हैं: *द लैंड ऑफ़ द विल्टेड रोज* (रूपा, 2012), *फॉर लव एंड ऑनर* (ब्लूम्सबरी, 2015), *द रैट ईटर* (ब्लूम्सबरी, 2019; सह-लेखन) और *सौफ्ले* (पेंगुइन, 2023)। *इंडियाज फॉरगॉटन साइंटिस्ट्स* (पेंगुइन, 2023; सह-लेखन) उनकी आने वाली अगली किताब है। *हिन्दूज इन हिन्दू राष्ट्र* उनकी पहली कथेतर साहित्य की किताब है।

Cover design by Syed Dilshad Ali
Cover illustration by James Prinsep

ऐतिहासिक भूलों का भंडाफोड़ करती एक खरी और जबर्दस्त रचना।

मीनाक्षी जैन
इतिहासकार

एक कठोर बयान, आधुनिक भारतीय मानस के लिए चुनिंदा विचारों का दस्तावेज जो पाठकों में प्रचलित आख्यानों पर प्रश्न खड़े करने की बेचैनी पैदा करता है।

विष्णु जैन
अधिवक्ता

बहुत शिद्दत से यह बयान करती पुस्तक कि हिन्दू अतीत में और वर्तमान में भी हाशिये के नागरिक बने रहे, चाहे शासनकाल कोई भी रहा हो; आशा है यह भावनाओं और चिंतन के स्तर पर लोगों को झकझोरेगी। जरूर पढ़िए।

जे. साई दीपक
अधिवक्ता

bluoneink
bluoneink

bluone.ink
www.bluone.ink

ISBN 978-93-92209-94-9